रजिस्ट्री सं. डी.--(डी एन)--73 REGISTERED NO. D--(DN)--73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 18, 1984 (श्रावण 27, 1906)
No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 18, 1984 (SRAVANA 27, 1906)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और सांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	613
भाग I—खण्ड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1049
भाग I—खंड 3—रक्षामंत्रालय द्वारा जारी किए गये संकल्पों और सांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियां आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1387
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वाराजारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपलब्धियां आदि भी शामिल हैं)	2091
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	2459
भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	—
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए सांविधिक नियम और आदेश	
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	18803
भाग III—खंड 2—पैटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	665
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	141
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनायें आदेश, विज्ञापन, और नोटिस शामिल हैं	2313
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	125
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़े को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

PAGE

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) .. 613

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) 1049

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .. .. —

PART I—SECTION 4—Notification regardings Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence 1387

PART II——SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations .. .. —

PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations .. .. —

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .. .. .. —

PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, by-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .. 2091

PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) 2459

PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories) .. .. —

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .. —

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India 18803

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta .. 665

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners 141

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 2313

PAR V—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies 125

PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi .. —

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 अगस्त 1984

सं० 85-प्रेज/84—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं --

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री कृपाल सिंह,
पुलिस उपअधीक्षक,
39वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओ का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

नागालैण्ड की सीमा से लगा आसाम राज्य के डिपूगढ़ जिले का नामरुप औद्योगिक नगर क्षत्र विदेशियो के मसले को लेकर आन्दोलन के फैल जाने पर आसाम मे आन्दोलनकारियो की राजनैतिक और अपराधिक गतिविधियो का अड्डा बन गया ।

श्री कृपाल सिंह, पुलिस उप अधीक्षक, ने क्षेत्र मे शान्ति और अमन स्थापित करने की दृष्टि से नामरुप (आसाम) मे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की कम्पनी का कार्यभार सभाला । 12 फरवरी, 1983, को उन्हे सूचना मिली की उपद्रवी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के चलते-फिरते गश्ती दल पर बोरिम्या बस्ती के निकट एच० एफ० सी० कालोनी मे अधेरे मे आक्रमण करेंगे । उन्होने उपद्रवियो के सभावित छिपने के स्थानो का अध्ययन किया और उपद्रवियो पर अचनाक आक्रमण करने की योजना बनाई । गश्ती दल ने गश्त को गहन किया और उपद्रवियो के छिपने के संदिग्ध स्थानों की छानबीन की किन्तु सफलता नही मिली । उसके बाद श्री कृपालसिंह के कमाण्ड मे दल ने घन अधेरे मे एल० पी० स्कूल परिसर मे प्रवेश किया और उन पर अचानक स्टेनगन से गोली चलाई । इसके साथ ही गश्ती दल पर दो देशी बम्ब फेंके गए उनमे से एक बहुत जोर से फटा और कान्स्टेबल राजन्द्र सिंह को लगा । श्री कृपाल सिंह ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और भारी खतरे की परवाह न करते हुए उस दिशा मे रेंगते हुए बढ़ना शुरू किया जिस तरफ से स्टेनगन से गोली चलाई गई उन्होने एक उपद्रवी को पुलिस दल पर अपनी स्टेनगन से निशाना साधते हुए देखा । वे उस तरफ दौड़े और उपद्रवी को स्टेनगन सहित पकड़ लिया पुलिस दल के अन्य सदस्य भी जल्दी ही वहां पहुंच गए। अन्य दो उपद्रवी अधेरे मे भागने मे सफल हो गए। दल ने कुछ शस्त्र और गोला-बारूद (नकदी समेत) बरामद किया ।

इस मुठभेड़ मे श्री कृपाल सिंह , पुलिस उप अधीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 12 फरवरी, 1983 से दिया जाएगा।,

सं० 87-प्रेज/84—राष्ट्रपति राजस्थान पुलिस के निम्नांकित अधिकारियो को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं—

अधिकारियों के नाम और पद

श्री हरचरण दास,
प्लाटून कमांडर,
8 वीं बटालियन, आर० ए० सी० (आई० आर)
राजस्थान ।

श्री दीप सिंह,
रसोइया,
8 वीं बटालियन,
आर ए० सी (आई० आर०)
राजस्थान ।

सेवाओ का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया ।

3 मई, 1981, को पुल प्राधिकारीयो ने महारानी और लखी पट्टी को मिलाने वाले पुल के निकट खुले स्थान में एक फिल्म शो और काली पूजा समारोह का आयोजन किया। भारी मात्रा मे दर्शको के आने की सम्भावना से महारानी चौकी में राजस्थान शस्त्र पुलिस दल के एक सहायक उप-निरीक्षक और चार सिपाहियो की शान्ति और अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने हेतु ड्यूटी पर तैनात किया गया । श्री हरचरण दास, प्लाटून कमाण्डर तथा महारानी चौकी के प्रभारी भी वहा पर उपस्थित थे।

लगभग 7 30 बजे दिनांक 3 मई, 1981 को जब फिल्म दिखाई जा रही थी श्री नकुल पाल के मकान में आग लगी हुई दिखाई दी। आग को देखकर लखीपट्टी चौकी के आर० ए० सी० के कार्मिक घटना स्थल की ओर गए और आग बुझाई । जब श्री हरचरण दास, प्लाटून कमाण्डर को आग के बारे मे सूचना दी गई, वह तुरन्त उस स्थान की ओर गए । जब वे आग के बारे मे पूछताछ कर रहे थे तो उन्होने लगभग 250–300 गज की दूरी पर श्री हीरालाल सरकार के मकान में भी आग लगी हुई देखी । वे पुलिस दल के साथ आग बुझाने हेतु तुरन्त उस ओर गए । आग पर काबू पाते समय श्री हरचरन दास ने फिल्म दिखाए जाने वाले स्थान से कुछ शोरगुल की आवाज सुनी । वे तुरन्त अपने दल के साथ उस स्थान पर गए और वहा श्री बुवासा जमातिया नामक आदिवासी को गैर आदिवासियो द्वारा निर्दयता से पीटते देखा जिसे गम्भीर चोटे आई हुई थी । अपने जीवन की परवाह न करते हुए श्री हरचरण दास आदिवासियो और पीड़ित व्यक्ति के बीच मे आ गए और अपनी लाठी से अकेले ही क्रोधित भीड़ को तितर–बितर कर दिया ।

इस बीच श्री हरचरण दास ने एक अन्य सशस्त्र गैर आदिवासियो के गिरोह को श्री बिशुनु कुमार देव बर्मा का पीछा करते तथा मारते हुए देखा । उस गिरोह ने आदिवासी को पकड़ लिया और उसकी आंखों में धूल डाली जिसके फलस्वरूप वह जमीन पर गिर पड़ा पहले पीड़ित व्यक्ति को श्री नन्दराम, कांस्टेबल, के पास छोड़कर श्री हरचरण दास ने पीड़ित व्यक्ति और गिरोह के बीच में आकर श्री देव बर्मा की जान बचाई ।

दूसरे पीडित व्यक्ति को श्री सूरजभान कांस्टेबल, के पास छोड़कर, वे पास की नदी के पुल पर विक्षिप्तता से निपटने के लिए तुरन्त गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने श्री दीप सिंह रसोईया, को घातक हथियारों से लैस गैर आदिवासियों के गिरोह को, जो भागते हुए आदिवासी श्री प्रभात कुमार जमातिया का पीछा कर रहे थे, दूर रखे हुए पाया आदिवासी को उस गिरोह ने घेर लिया तथा उसे पीटा। श्री दीप सिंह ने अपने जीवन को खतरे में डालकर गिरोह के बीच में से अपना मार्ग बनाया और पीडित व्यक्ति के सामने खड़े होकर उसे रक्षा लिया। उन्होंने पीड़ित व्यक्ति श्री प्रभात कुमार जमातिया की तब तक रक्षा की, जब तक श्री हरचरण दास अपने पुलिस दल के साथ उनकी रक्षा करने के लिए नहीं पहुंचे। गम्भीर रूप से घायल तीनों आदिवासियों को तुरन्त अस्पताल पहुंचाया गया ।

इस तरह तीन आदिवासियों की जीवन की रक्षा करते हुए, श्री श्री हरचरण दास, प्लाटून कमाण्डर, तथा परदीप सिंह, रसोईया, ने वीरता, अनुकरणीय साहस तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 3 मई 1981 से दिया जाएगा:

सं० 88–प्रेज/84—राष्ट्रपति महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :–

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री एच० एस० इरानी,
पुलिस उप–निरीक्षक ,
सी० आई० डी०,
बृहत् बम्बई।

सेवाओं का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया ।

बम्बई शहर के एक कुख्यात डकैत और अपराधी रियाजखान दाऊदखान पठान को, जो अनेक मामलों में अभियुक्त था, पुलिस ने गिरफ्तार किया । 24 जून, 1983 को, जब उसे जेल ले जाया जा रहा था तो वह पुलिस हिरासत से भागने मे सफल हो गया । 29 जून, 1983 को, रियाजखान के बारे मे पता चलने पर श्री एच एस इरानी, पुलिस उप निरीक्षक, और कर्मचारियों ने बम्बई के वामों पाडा क्षेत्र में उसे पकड़ने के लिये जाल बिछाया । पूर्वानुसार श्री इरानी ने रियाजखान को टैक्सी मे इलाके की ओर आते देखा जो समीर होटल के आगे धीमी हो गयी श्री इरानी को देखने पर रियाजखान ने चालक को धकेल कर स्टैयरिंग व्हील सम्भाला और टैक्सी की गति तेज करके भागने लगा । श्री इरानी और उसके कर्मचारियों ने जीप से टैक्सी का पीछा किया। अन्त में टैक्सी पत्थरों के ढेर पर रुकी । ज्योंही श्री इरानी टैक्सी की तरफ भागे, उसमें बैठे हुये दो व्यक्तियों ने उन पर गोलिया चलाई । श्री इरानी ने अपनी सुरक्षा के लिये जवाब में गोली चलाई। दो व्यक्ति पीछे की तरफ से उतरे और उत्तर दिशा की ओर भागने लगे। कर्मचारियों ने उनका पीछा किया इसी बीच रियाजखान टैक्सी से उतरे और श्री इरानी पर पिस्तौल तान कर उन्हें गम्भीर परिणामों की चेतावनी दी । जैसे ही रियाजखान श्री इरानी पर गोली चलाने लगा, श्री इरानी ने उससे पहले उस पर गोली चला दी। रियाजखान को गोली लगी और अन्य कर्मचारियों की सहायता से उसे दबोच लिया गया और निरस्त्र कर दिया गया।

इस मुठभेड में श्री एच एस० इरानी ,पुलिस उप निरीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 29 जून, 1983 से दिया जाएगा।

सु० नीलकण्ठन, राष्ट्रपति का उप सचिव

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

कम्पनी कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई 1984

स० 27(12)84–सी० एल०–2—कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 209–क के खण्ड (ii) उपखण्ड (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कम्पनी कार्य विभाग में श्री एस० के० साह निरीक्षण अधिकारी को उक्त धारा 209 क के उद्देश्यों के लिये प्राधिकृत करती है ।

सी० एल० प्रथम अवर सचिव,

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 27 जून 1984

सं० 2/84 सं० क–12018/1/81–प्रशा०–II ख—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नारकोटिक्स विभाग मे कुछ समूह 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :–

   1. इन नियमों का नाम नारकोटिक्स विभाग (समूह 'ख' पदों) भर्ती नियम 1984 है ।

   2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या वर्गीकरण और वेतनमान :–

   उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान वह होगा जो इससे उपबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति आयु सीमा और अन्य अर्हतायें आदि :–
   उक्त का भर्ती की पद्धति आयु सीमा, अर्हतायें और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट है ।

4. निरर्हताएं :–

   वह व्यक्ति नहीं ।

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति :–

   जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है या जहां समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के उपबन्धों को संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श द्वारा किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेंगे ।

6. व्यावृत्ति:–

   इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

(सारणी)

पद का नाम	पद की सं०	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण या अप्रवरण	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु की सीमा	के० सि०से० (पेंशन) नियम 1972 के नियम 309 के अधीन सेवा में जोड़े हुए वर्ष का लाभ अनुमत्य होगा या नहीं,	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हतायें	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/सीधे भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा/क्या विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत अनुपात	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने के लिए परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
जिला अफीम अधि० एक्स–27	41* (1983)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित अलिपिकीय	650–30–740–35–810–द० रो० 35–880–40–1000 द० रो० –40–1200.	प्रवरण	लागू नही होता	लागू नहीं होता	लागू नही होता	लागू नही होता	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा इसके अभाव में स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति निरीक्षकों (सामान्य श्रेणी) ग्रेड में 8 वर्षों की नियमित सेवाकाल जिसमें उस सेवा को सम्मलित किया जाएगा, यदि कोई है, जो निरीक्षक (वरिष्ठ ग्रेड) के ग्रेड में की गई है । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण के विषय में :– केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में अधीक्षक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समूह 'ख' के पद धारण करने वाले या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निरीक्षक जिनकी इस ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा हो (प्रतिनियुक्ति की अवधि उसी संगठन/विभाग में नियुक्ति से तत्काल पहले अय संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यत: 3 वर्ष से अधक नही होगी ।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति:– 1. सदस्य केन्द्रीय सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क अध्यक्ष 2. नारकोटिक्स आयुक्त सदस्य 3. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन निदेशालयों में से एक निदेशक सदस्य 4. सचिव (प्रशा०) अवर सचिव केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क सदस्य	पद पर अधिकारी की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।
अनुसूचना अधि०	2												
अधीक्षक (कार्यकारी)	9												
बिक्री प्रबन्धक	2												
उप प्रबन्धक	1												
	41												

* कार्यभार पर निर्भर करते हुए इसमे गड़बड़ हो सकती है।

एस० पी० कुण्डू, अवर सचिव

(औद्योगिक विकास विभाग)

तकनीकी विकास महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई, 1984

संकल्प

सं० डी० डब्ल्यू० आई–64(84) डब्ल्यू० पी०—27–3–84 के संकल्प संख्या डी० डब्ल्यू० आई–64(84)/डब्ल्यू० पी० के क्रम में, पहले संकल्प के जारी होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए काष्ठ उद्योगों की विकास नामिका में निम्नलिखित और व्यक्तियों को शामिल करने का निर्णय किया है :–

1. प्रतिनिधि,
पेट्रोलियम विभाग,
ऊर्जा मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली ।

2 दी साउथ इण्डियन प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर्स
एसोसिएशन, टी० सी०/12/1630,
ब्रिगड लेन, विकास भवन,
त्रिवेन्द्रम –695033,
केरल राज्य –
श्री ए० के० केडरकुट्टी ।

3. मैसर्स आसाम प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर्स,
एसोसिएशन, प्रभातिया कॉलोनी,
पं० आ० तिनसुकिया,
आसाम।
अध्यक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि

4. श्री के० एस० नायर
कार्यकारी निदेशक,
फेडरेशन आफ इण्डियन प्लाईवुड
एण्ड पेनल इण्डस्ट्रीज
एच-ब्लाक, कनाट सर्कस
इन्दिरा प्लेस,
नई दिल्ली–110001

5. श्री एम० एम० जालान,
अरुणाचल प्लाईवुड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
62, बालीगंज, सरकुलर रोड,
कलकत्ता–700019

6. श्री एल० एन० दोकानिया,
प्रबन्ध निदेशक,
मैं० वुडक्राफ्ट प्राडक्ट्स लिमिटेड,
9/1, आर० एन० मुकर्जी रोड,
7वां तल,
कलकत्ता–700001 ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि आम सूचना के लिये इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

के० सी० गंजवाल, निदेशक (प्र०)

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 1984

संकल्प

स० 6-1-84–वानिकी (समन्वय)—भारत सरकार ने केन्द्रीय वानिकी बोर्ड का तत्काल से पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है, ताकि बोर्ड को व्यापक आधार दिया जा सके और सरकार के अन्तर्गत तथा उससे बाहर के संबंधित संगठनों और व्यक्तियों के योगदान के लिए अधिक से अधिक गुंजाइश हो सके ।

केन्द्रीय वानिकी बोर्ड तथा उसकी स्थाई समिति का संशोधित गठन तथा उनके विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

1– केन्द्रीय वानिकी बोर्ड :—

1. केन्द्रीय कृषि मंत्री	अध्यक्ष
2. भारत सरकार के निम्नलिखित प्रत्येक मंत्रालय/विभाग से एक मंत्री	सदस्य
1. गृह मंत्रालय	
2. शिक्षा मंत्रालय	
3. ऊर्जा मंत्रालय	
4. वित्त मंत्रालय	
5. उद्योग मंत्रालय	
6. ग्राम विकास मंत्रालय	
7. पर्यावरण विभाग	
3. सदस्य (कृषि), योजना आयोग	सदस्य
4. सभी राज्यों के प्रभारी वन मंत्री	सदस्य
5. सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रभारी वन मंत्री/मुख्य आयुक्त/प्रशासक (जैसा भी मामला हो)	सदस्य
6. लोक सभा के दो संसद सदस्य	सदस्य
7. राज्य सभा से एक संसद सदस्य	सदस्य
8. वानिकी, भूमि और/अथवा जल से संबंधित प्रमुख स्वैच्छिक एजेंसियों/निकायों और/अथवा व्यावसायिक संगठनों के पांच प्रतिनिधि, जिन्हें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नामजद किया जाएगा ।	सदस्य
9. दो प्रसिद्ध गैर–सरकारी व्यक्ति, जिन्हें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नामजद किया जाएगा'	सदस्य
10. भारत सरकार के कृषि, ग्राम विकास, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण, वित्त, गृह, उद्योग और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी सचिव	सदस्य
11. महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	सदस्य
12. वन महानिरीक्षक, भारत सरकार	सदस्य
13. अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान तथा महाविद्यालय, देहरादून	सदस्य
14 वन्य प्राणि विशेषज्ञ	सदस्य
15. अपर वन महानिरीक्षक, भारत सरकार	सदस्य-सचिव

सदस्यता :

(1) अपने पद अथवा अपनी नियुक्ति के कारण सदस्यता प्राप्त करने वाले सदस्यों के अलावा अन्य सदस्य चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनकी उस संगठन की जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, सदस्यता समाप्त हो जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपने पद पर कार्य करते रहेंगे ।

(2) बोर्ड में मानजद किया गया संसद सदस्य इस पद पर चार वर्षों तक कार्य करता रहेगा, बशर्ते कि संसद का विघटन हो जाने पर उनकी सदस्यता समाप्त न हो जाए अथवा अन्य किसी वजह से उनकी संसद में सदस्यता समाप्त न कर दी जाए।

(3) सदस्य की मृत्यु हो जाने अथवा उसके द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने अथवा विक्षिप्त हो जाने अथवा दिवालिया घोषित किए जाने अथवा नैतिक चरित्रहीनता के अपराध में अदालत द्वारा

अपराधी घोषित किए जाने पर उसे बोर्ड के सदस्य के पद से हटा दिया जाएगा ।

(4) उपरोक्त किसी कारण से हुई सदस्यता की रिक्ति को इस प्रकार की नियुक्ति/नामांकन करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति/नामांकन के जरिए भरा जाएगा ।

भूमिका तथा कार्य

(1) बोर्ड का मुख्य कार्य केन्द्रीय और राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों को वन संरक्षण और प्रबंध संबंधी मामलों तथा समय-समय पर उठने वाले सम्बद्ध मामलों के संबंध में सहायता देना तथा सलाह देना। बोर्ड अपनी भूमिका अदा करने के लिए विशेष रूप से निम्नलिखित से संबंध रखेगा :—

(1) राष्ट्रीय वन नीति,
(2) वन संरक्षण तथा विकास संबंधी विधान
(3) वन संबंधी अन्तर्राज्यीय मामले
(4) वानिकी अनुसंधान तथा शिक्षा के विस्तृत इलाकों की पहचान
(5) वानिकी के क्षेत्र में विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा वानिकी कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक प्रयास की सिफारिश करना ।
(6) बोर्ड द्वारा अभिज्ञात किए गए राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए समितियों/उप-समितियों/कार्यकारी दलों की नियुक्ति करना ।

बोर्ड की बैठक

बोर्ड की वर्ष में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी । बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों को बोर्ड और/अथवा उसकी समितियों/उप समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए भारत सरकार के वर्ग-I के अधिकारियों के लिए मौजूदा आदेशों के अनुसार यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता दिया जाएगा ।

2. केन्द्रीय वानिकी बोर्ड की स्थाई समिति

1. केन्द्रीय कृषि मंत्री या कृषि राज्य मंत्री	अध्यक्ष
2. राज्यों के तीन वन प्रभारी मंत्री, जिनकी नामजदगी केन्द्रीय वानिकी बोर्ड द्वारा एक समय में दो वर्ष की अवधि के लिए बारी-बारी से की जायेगा	सदस्य
3. एक संसद सदस्य (बोर्ड में नामजद किये गये सदस्यों में से)	सदस्य
4. गृह, वित्त, ऊर्जा तथा पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि (संबंधित सचिव के स्तर के नीचे के नहीं)	सदस्य
5. सचिव (कृषि और सहकारिता) भारत सरकार	सदस्य
6. महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	सदस्य
7. वन महानिरीक्षक, भारत सरकार	सदस्य
8. अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान तथा महाविद्यालय, देहरादून	सदस्य
9. वन्य प्राणी विशेषज्ञ	सदस्य
10. अपर वन महानिरीक्षक, भारत सरकार	सदस्य-सचिव

भूमिका तथा कार्य

बोर्ड की सिफारिशों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना तथा [illegible] उभरने वाले किसी भी मामले पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों को सहायता करना तथा उन्हें सलाह देना;

2. बोर्ड द्वारा समय-समय पर दिये गये सभी कार्यों को करना और बोर्ड का सत्र न होने पर बोर्ड की ओर से कार्यवाही करना; और

3. बोर्ड के कार्यों को उचित रूप से करने के लिये समय समय पर आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ समितियों/उप समितियों तथा अध्ययन दलों का गठन करना ।

स्थाई समिति की बैठकें

स्थाई समिति की कम से कम छः माह में एक बैठक होगी तथा हर हालत में इसकी बैठक केन्द्रीय बोर्ड की बैठक से पहले होगी ।

यह इस विषय पर पहले जारी किये गये सभी संकल्पों के अधिक्रमण में है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग तथा भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक सहित सभी संबंधितों को भेज दी जाये ।

आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण की जानकारी के लिये संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

दिनांक 28 जुलाई 84

परिशिष्ट

सं० 8-1/84-वानिकी (एम०)—हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में भारत-जर्मन धौलाधार परियोजना की प्रगति की संवीक्षा करने और उसके कार्यान्वियन का प्रबोधन करने के लिए कृषि मंत्रालय में एक केन्द्रीय प्रबोधन समिति का गठन करने के संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 31 मई, 1984 के समसंख्यक संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए, उक्त संकल्प के पैरा 2 में निम्नलिखित को जोड़ा जाए:—

(4) निदेशक (आई० सी०)
कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग) सदस्य

मौजूदा "(4)" को "(5)" पढ़ा जाए ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि परिशिष्ट की एक प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए ।

यह आदेश दिया जाता है कि परिशिष्ट को सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाए ।

समर सिंह, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली दिनांक 27 जुलाई 1984

संकल्प

सं० 17-1/84-एल० डी०-1—इस मंत्रालय के दिनांक 9 फरवरी, 1984 के संकल्प संख्या 17/1-84 एल० डी०-1 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारत सरकार ने श्री ए० आर० शिराली, भारत के भूतपूर्व उप महालेखापरीक्षक को आपरेशन फलड-2 परियोजना की मूल्यांकन समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत किया है । अन्य सभी शर्तें पूर्ववत रहेंगी ।

विष्णु भगवान, संयुक्त सचिव

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 जून, 1984

संकल्प

भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग संविधान 1984

फा० सं० 32-34/84-आयलेरी—इस मंत्रालय के संकल्प संख्या एफ० 22-1-74-सी० ए० आई० (2) दिनांक 1 नवम्बर, 1974 का अधिक्रमण करते हुए, भारत सरकार ने उपबंध के अनुसार भारत सरकार

ने उपाबंध के अनुसार भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के पुनर्गठन का निर्णय किया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र भाग–I खण्ड 1, में प्रकाशित किया जाए।

रतन चन्द सूद, अवर सचिव

उपाबंध

संस्कृति विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 26 जून 1984

संकल्प

भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग, 1984

फा० सं०-32–34/84– लाईब्रेरी—भारत सरकार ने सन् 1919 में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग को एक परामर्श-निकाय के रूप में स्थापित किया, जिसकी राय जनता मानेगी और जो निम्नलिखित विषयों पर पूछताछ करके अपने अभिस्ताव (सिफारिशें) प्रस्तुत करेगा:

(1) ऐतिहासिक अध्ययन के लिये पुरालेखों की व्यवस्था (साधन),

(2) किस अनुमाप (पैमाने) पर और किस अभियोजना के अन्तर्गत प्रलेखों के प्रत्येक वर्ग के सूचीपत्र और प्रलेख-क्रम (कलैण्डर) बनाने और उनका पुनर्मुद्रण करने का कार्य लिया जाना चाहिये

(3) अभिलेखों में अनुसंधान प्रोत्साहित करने और उनका प्रकाशन करने के लिए अपेक्षित धन-राशि,

(4) प्रलेखों का प्रकाशन करने के लिए सक्षम विद्वानों का चुनाव और

(5) अभिलेखों तक जनता की पहुंच की समस्यायें (शिक्षा विभाग संकल्प 77 दिनांक 21 मार्च 1919) आयोग के कार्यकलाप में भारत की विभिन्न राज्य सरकारों विश्वविद्यालयों और विद्वत्संस्थाओं का सक्रिय सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अपने शिक्षा स्वास्थ्य और भूमि विभाग संकल्प सं० फा० 92–9/40 ई, दिनांकित 16 सितम्बर, 1941 द्वारा आयोग के संविधान में सुधार करने के लिए पग उठाये और इसमें भारत की विभिन्न राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों एवं विद्वत संस्थाओं के मनोनीत व्यक्तियों के आयोग में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में उपबंध (प्रावधान) किये।

आयोग अपने आरम्भ काल से अब तक 48 सत्र कर चुका है और उसने पुरालेखों के संरक्षण और उपयोग में जनता की अभिरुचि बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत सरकार यह प्रस्वीकृत करती है कि आयोग और उसकी विभिन्न समितियों के उपक्रमणों से सूचना के अनेक नये स्रोत प्रकाश में लाये गये और भावी संतति के लिये बचा लिये गये अनेक प्रलेख संग्रह प्रकाशित किये गये और विद्वानों के लिये सुलभ बना दिये गये अभिलेखों का उपयोग करने की सुविधायें सारतः बढ़ा दी गई हैं और ऐतिहासिक साक्ष्य की पवित्रता के सम्बन्ध में जनता के मन में एक नई जागृति उत्पन्न कर दी गई है। जहां भारत सरकार आयोग की इन तथा दूसरी उपलब्धियों का बहुत अधिमूल्यन करती है वहां साथ ही साथ यह भी अनुभव करती है कि अभी और बहुत कुछ करना है और एक बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण समस्याएं। भविष्य में सुलझाने के लिये खड़ी है। अनेक अभिलेख संग्रहों की तो अभी कोई संदर्शिका (गाइड) ही नहीं बनी है उनकी विस्तृत विवरणात्मक सूचियां होने की तो बात ही क्या और बहुत कम शासकीय अथवा शासनेतर अभिलेख निक्षेपागार हैं जिन्होंने अभी तक प्रलेख-प्रकाशन का एक सुस्पष्ट कार्यक्रम विकसित (तैयार) किया है। अधिकतर संग्रह अवर्भा आद्य अवस्थाओं में रखे जाते हैं और वे विनाशी कीटों, फंफूदों एवं अन्य विनाशी तत्वों (एजेण्टों, के ध्वंसों के शिकार होते है, शासनेतर अभिरक्षा में वर्तमान अभिलेखों का, विशेषतः संस्थागत धार्मिक और वाणिज्यिक सद्भाव के अभिलेखों का सर्वेक्षण, वर्णन, आयोजन अथवा उपयोग करने का बहुत कम क्रमबद्ध प्रयत्न किया गया है। देश में प्रशिक्षित पुरालेखपालों की कमी के कारण पुरालेखीय कार्य में अबाध रूप से गम्भीर रुकावटें पड़ती आ रही हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं से पुरालेखीय संग्रहों के स्वामियों में पर्याप्त उत्साह का संचार न हो सका। सरकार का विश्वास है कि राष्ट्र के आधिविद्य–जीवन में यह एक बड़ा अन्तराल (रिक्तता) है और अभिलेखों और ऐतिहासिक सामग्रियों के अभिरक्षकों और उपयोगकर्ताओं के बीच अधिक गहन और अधिक हार्दिक सहयोग ही केवल मात्र साधन है जिसके द्वारा ये कमियां दूर की जा सकती हैं।

3. इस प्रकार के सहयोग को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार संस्कृति विभाग संकल्प सं० फा० 22–1/74–सी० ए०-1(2) दिनांक 1 नवम्बर, 1974 और इस विषय पर विद्यमान सब पूर्ववर्ती संकल्पों का अधिलंघन करते हुए आयोग का निम्नलिखित प्रकार से पुनर्गठन करने की सहर्ष स्वीकृति (संमोदन) देती है:

आयोग के निम्नलिखित सदस्य होंगे:

क– पदेन सदस्य

1. शिक्षा तथा संस्कृति मंत्री, भारत सरकार।	अध्यक्ष
2. सचिव, शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार।	सदस्य
3. अपर सचिव, संस्कृति विभाग, भारत सरकार।	सदस्य
4. अभिलेख निदेशक, भारत सरकार।	सचिव
5. अभिलेख उप/सह निदेशक, भारत सरकार। (जो आयोग के कार्य से संव्यवहार करते हैं)	संयुक्त सचिव

ख– भारत सरकार के मनोनीत व्यक्ति

ये बीस अग्रगणीय इतिहासकार और पुरालेखपाल होंगे और भारत सरकार इन्हें इनके अभिलेख व्यवस्था (साधन) संबंधी विशेषोपयुक्त और भारतीय इतिहास की पश्च–1600 अवधि पर किये कार्य के आधार पर नियुक्त करेगी।

ग– केन्द्रीय सरकार और अर्द्धशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधि:

1. विदेश (परराष्ट्र) मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. गृह मंत्रालय, नई दिल्ली,
3. प्रतिरक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, मंत्रीमण्डल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
6. शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय (वित्तीय सलाहकार)
7. सामाजिक–आर्थिक अनुसंधान संस्थान, जनगणना एवं जनसंख्या अध्ययन एकक, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, 203 बैरकपुर, ट्रंक रोड, कलकत्ता।

घ– राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि.

जिन राज्य सरकारों,/संघशासित प्रदेशों का अपना निजी संघटित अभिलेख निक्षेपागार है उनमें से प्रत्येक का एक मनोनीत व्यक्ति जो सदैव उस राज्य/संघशासित प्रदेश पुरालेख अभिरक्षक होगा।

2 प्रादेशिक अभिलेख सर्वेक्षण समितियां

जिन राज्यों/संघशासित प्रदेशों की विभिन्न प्रादेशिक अभिलेख सर्वेक्षण समितियों का संघटित अभिलेख निक्षेपागार नहीं है उनमें से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि ।

ङ—विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि जो भारतीय इतिहास की पश्च-1600 अवधि का इतिहास पढ़ाते हैं —

भारत के नीचे उल्लिखित प्रत्येक विश्वविद्यालय से एक मनोनीत व्यक्ति भारतीय इतिहास की पश्च 1600 अवधि पढ़ाता हो और मूल अभिलेखों में अनुसंधान करने और उनका प्रकाशन करने के कार्य को उत्साहित करता हो एवं अपना पुरालेखागार संघटित करने में तथा शासनेतर और अर्द्धशासकीय अभिरक्षा में विद्यमान अभिलेखों का सर्वेक्षण और समन्वेषण करने में आयोग के साथ सहयोग करता हो

(1) आगरा विश्वविद्यालय,

(2) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय,

(3) इलाहाबाद विश्वविद्यालय,

(4) आन्ध्र विश्वविद्यालय,

(5) अन्नामालय विश्वविद्यालय,

(6) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय,

(7) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

(8) बंगलौर विश्वविद्यालय,

(9) बरहमपुर विश्वविद्यालय,

(10) भागलपुर विश्वविद्यालय,

(11) भोपाल विश्व विद्यालय,

(12) बिहार विश्वविद्यालय,

(13) बम्बई विश्वविद्यालय,

(14) बर्दवान विश्वविद्यालय,

(15) कलकत्ता विश्वविद्यालय,

(16) दिल्ली, विश्वविद्यालय,

(17) विक्रमगढ़, विश्वविद्यालय,

(18) गोहाटी विश्वविद्यालय,

(19) गोरखपुर विश्वविद्यालय,

(20) गुजरात विश्वविद्यालय,

(21) गुजरात विद्या पीठ,

(22) गुरुनानक विश्वविद्यालय,

(23) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय,

(24) इंदौर विश्वविद्यालय,

(25) जबलपुर विश्वविद्यालय

(26) जादवपुर विश्वविद्यालय

(27) जामिया मिलिया इस्लामिया,

(28) जम्मू विश्वविद्यालय,

(29) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय,

(30) जीवाजी विश्वविद्यालय,

(31) जोधपुर विश्वविद्यालय,

(32) कर्नाटक विश्वविद्यालय,

(33) काशी विद्यापीठ

(34) कश्मीर विश्वविद्यालय,

(35) केरल विश्वविद्यालय,

(36) कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय,

(37) लखनऊ विश्वविद्यालय,

(38) मद्रास विश्वविद्यालय,

(39) मगध विश्वविद्यालय,

(40) महाराजा सैयाजी राव विश्वविद्यालय,

(41) मराठवाड़ा विश्वविद्यालय,

(42) मेरठ विश्वविद्यालय,

(43) मैसूर विश्वविद्यालय,

(44) नागपुर विश्वविद्यालय,

(45) उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय,

(46) पटना विश्वविद्यालय,

(49) पूना विश्वविद्यालय,

(50) पंजाबी विश्वविद्यालय,

(51) रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय,

(52) राजस्थान विश्वविद्यालय,

(53) रविशंकर विश्वविद्यालय,

(54) सागर विश्वविद्यालय,

(55) सम्बलपुर विश्वविद्यालय,

(56) सरदार पटेल विश्वविद्यालय,

(57) सौराष्ट्र विश्वविद्यालय,

(58) शिवाजी विश्वविद्यालय,

(59) श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय,

(60) सुखाडिया विश्वविद्यालय उदयपुर,

(61) उत्कल विश्वविद्यालय,

(62) विक्रम विश्वविद्यालय,

(63) विश्व भारती,

(64) मदुरई कामराज, विश्वविद्यालय,

(65) रांची विश्वविद्यालय

च—विद्वत्संस्थाओं के प्रतिनिधि

1. भारतीय इतिहासमहासभा (कांग्रेस)।
2. एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता।
3. एशियाटिक सोसायटी, बम्बई।
4. भारत इतिहास संशोधक मण्डल, पुणे।
5. गोखले रिसर्च इंस्टिट्यूट आफ पोलिटिक्स एण्ड इकोनोमिक्स, पुणे।
6. इण्डियन इंस्टिट्यूट आफ एडवान्स्ड स्टडीज, शिमला।
7. नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली।
8. इण्डियन कौन्सिल आफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली
9. इंस्टिट्यूट दे चन्द्रनगर, चन्द्र नगर, (पश्चिमी बंगाल)
10. हेरास इंस्टिट्यूट आफ इंडियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, बम्बई
11. इंडियन इंस्टिट्यूट आफ इस्लामिक स्टडीज, नई दिल्ली,
12. ऐसोसिएशन आफ इंडियन आर्कीविस्ट, नई दिल्ली।
13. इंस्टिट्यूट आफ हिस्ट्री एण्ड एन्टीक्वेरियन स्टडीज इन आसाम, गोहाटी।
14. इंडियन इंस्टिट्यूट आफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद।
15. श्री नातनगर शोध संस्थान, सीतामऊ।
16. महाराजा सवाई मानसिंह- म्यूजियम, जबलपुर।
17. जिनिओलिजिकल सोसायटी आफ उटा, नई दिल्ली।

छ—तत्संबद्ध (कारेस्पोण्डिंग) सदस्य :

इस संवर्ग के सदस्यों का चुनाव भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों तक, जो सक्रिय रूप से अभिलेखों में अभिरुचि रखते हैं, सीमित रहेगा। इस अभिरुचि का साक्ष्य केवल पर्याप्त योग्यता की प्रकाशित कृति ही मानी जायेगी। तत्संबद्ध सदस्यों का चुनाव और उनकी नियुक्ति भारत सरकार करेगी।

4. भारत सरकार चाहती है कि राज्य सरकारों के मनोनीत व्यक्ति ऐसे हों, जो पूर्णतया पुरालेख और पुरालेखीय प्रविधियों से परिचित हों और विश्वविद्यालयों, विद्वत्संस्थाओं तथा अन्य अनुसंधान निकायों के मनोनीत व्यक्ति आधिविद्य श्रेष्ठता वाले व्यक्ति हों जिन्हें भारतीय इतिहास की पश्च 1600 अवधि में पर्याप्त अच्छा मौलिक अनुसंधान करने का श्रेय प्राप्त हो। भारत सरकार द्वारा इन सब निकायों के मनोनीत व्यक्तियों के मनोनियम अधिसूचित कर दिये जाने के पश्चात ये लोग आयोग के सदस्य बन जाते

5. I पदेन सदस्यों से भिन्न आयोग के सदस्य और उसके सब तत्संबद्ध सदस्य निम्नलिखित रूप से पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किये जायेंगे :—

(1) सब नियुक्तियां और पुनर्नियुक्तियां पांच वर्ष की पूर्ण अवधि के लिए समूहशः (एन ब्लाक) उसी दिनांक से की जायेंगी, किन्तु अवधि के समाप्त होने पर सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होंगे।

(2) पांच वर्ष की उक्त अवधि में जो रिक्ति त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप अथवा अन्य कारणवशात् होगी वह पांच वर्ष की पूर्ण अवधि के लिये नहीं अपितु केवल अवधि के अनवसित भाग के लिए पूर्ति की जायेगी।

II. आयोग के कार्यकलाप का क्षेत्र निम्नलिखित तक सीमित रहेगा:

(1) पुरालेखों और ऐतिहासिक प्रलेखों के स्रष्टाओं, अभिरक्षकों और उपयोगकर्ताओं के बीच पुरालेख साधन, पुरालेख परिरक्षण और पुरालेख उपयोग के सम्बन्ध में विचारों एवं अनुभवों के आदान प्रदानार्थ एक विचार स्थल (फोरम) का काम करना और इस प्रयोजन के लिए समुपयुक्त शासकीय अथवा शासनेतर निकायों (बोडीज) को अपनी सिफारिशें भेजना।

(2) अन्वेषण की अपेक्षा रखनेवाली ऐतिहासिक समस्याओं से सम्बन्ध रखनेवाले विशेषकर उन समस्याओं से सम्बन्ध रखनेवाले जिन पर थोड़ा अथवा कुछ भी काम नहीं किया गया है, पुरालेखों पर चर्चा के लिये वाद स्थल (फोरम) का काम करना और (उस संबंध में) आधिविद्य सत्र (ऐकेडेमिक सेशन) करना। इस आधिविद्य सत्र में हाल में पता लगाये गये भारतीय इतिहास की पश्च 1600 अवधि के मूल अभिलेखों पर आधारित लेख पढ़े जाएं और उन पर चर्चा की जाये। ये लेख या तो आयोग के सदस्यों द्वारा लिखे जाने चाहियें या यदि दूसरे विद्वानों द्वारा लिखे जायें तो आयोग के सदस्यों द्वारा भेजे जाने चाहिए। सब ऐसे लेख इस प्रयोजन के लिये बनाई जानेवाली एक सम्पादकीय समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् प्रथमतः ही परिचालित किये जाने चाहियें।

(3) विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, विद्वत्संस्थाओं और विशेषतः प्रादेशिक अभिलेख सर्वेक्षण समितियों और . प्रकार के स्थानीय निकायों (बोडीज) के सहयोग से शासनेतर और अर्धशासकीय अभिरक्षा में वर्तमान सामग्रियों क (जिनमें संस्थागत, धार्मिक और व्यावसायिक अभिलेख भी सम्मिलित हैं) विनाश से रक्षा करने और उनका उपयोग करने के कार्य को बढ़ावा देना। और इस क्षेत्र में कि. गये काम पर सूचना के लिए एक समाशोधन-गृह (क्लीयरिंग हाउस) का काम करना।

(4) अभिलेख एवं ऐतिहासिक पाण्डुलिपि निक्षेपगारों और अ. संधान में अभिरुचि रखनेवाले निकायों (बोडीज) के बीच में सामान्यतया एक मध्यम (बिचौलिया) का काम करना

(5) कार्यवाहियां (प्रोसीडिंग्ज) और विवरणिकायें (बुलेटिन्स) प्रकाशित करना, जिनमें आयोग के कार्यकलाप और उ. उद्देश्य को बढ़ावा देनेवाली दूसरी बातों का प्रतिवेद. सम्मिलित हो।

III. सामान्यतया आयोग का सत्र वर्ष एक बार हुआ करेगा और सत्र स्थल के लिये ऐसा स्थान चुना जायेगा जो पुरालेखीय सामग्रियों में समृद्ध हो । प्रत्येक सत्र में निम्नलिखित समाविष्ट होना चाहिये ।

(1) सचिव द्वारा देश में की गई पुरालेखीय प्रगति पर प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदन के संबंध में एक सार्वजनिक बैठक होगी ।

(2) सचिव के प्रतिवेदन पर एवं सदस्यों द्वारा आयोग को निर्दिष्ट की गई (भेजी गई) पुरालेख अभिरक्षण और पुरालेख उपयोग संबंधी समस्याओं पर चर्चा करने तथा विभिन्न निकायों (बोडीज) द्वारा आयोग के संरक्षण में लिये गये कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिये एक कार्य बैठक होगी ।

(3) भारतीय इतिहास की पश्च 1600 अवधि के मूल अभिलेखों पर आधारित लेख पढ़ने और उन पर चर्चा करने के लिए एक आधिविद्य सत्र (एकेडेमिक सेशन) होगा । इस प्रकार के सत्रों में अभिरुचि रखनेवाले जनसाधारण भी सम्मिलित हो सकेंगे । तत्संबद्ध (कोरेस्पांडिंग) सदस्य, आयोग की कार्य बैठकों को छोड़कर, सभी बैठकों में सम्मिलित हो सकेंगे । कार्य बैठकों में वे विशेष आमन्त्रण पर ही सम्मिलित हो सकते हैं ।

पदेन अध्यक्ष आयोग की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे । किन्तु अपनी अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में काम करने के लिए एक वरिष्ठ सदस्य का मनोनीत करने का उन्हें अधिकार होगा ।

6. स्थायी समिति :—

आयोग अनुसंधान की अपेक्षा रखनेवाली विशिष्ट समस्याओं से संव्यवहार करने के लिए एक अथवा एक से अधिक समितियां नियुक्त कर सकता है । ये समितियां अपने प्रतिवेदन आयोग को भेजेंगी ।

भारत सरकार निम्नलिखित संरचना और प्रकार्यों वाला एक स्थायी समिति बनायगी :

1. संरचना:

(क) सचिव, शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय,	पदेन सभापति
(ख) अपर सचिव, संस्कृति विभाग	पदेन उप सभापति
(ग) भारत सरकार द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए मनोनीत किये जानेवाले बारह सदस्य । ये सदस्य पुनर्मनोनयन के लिए पात्र होंगे ।	
(घ) अभिलेख निदेशक, भारत सरकार ।	पदेन सचिव
(ङ) अभिलेख उप/सह निदेशक, भारत सरकार ।	पदेन संयुक्त सचिव ।

(जो आयोग से संव्यवहार करते हैं)

II. प्रकार्य:

स्थायी समिति भारतीय अभिलेख आयोग द्वारा समय-समय पर की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का पुनर्विलोकन करेगी, अपने पास भेजे गये सब प्रतिवेदनों और मदों पर विचार करेगी, आयोग की बैठक की कार्यावलि (एजेण्डा) पर अपने विचार प्रकट करेगी जो भारत सरकार अथवा आयोग के अध्यक्ष उसे देंगे । साधारणतः एक वर्ष में दो बार बैठक होगी ।

7. पदेन अध्यक्ष, सचिव, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय (पदेन अध्यक्ष स्थायी समिति), अवर सचिव, संस्कृति विभाग (पदेन उपाध्यक्ष स्थायी समिति), आयोग के सचिव तथा संयुक्त सचिव और भारत सरकार के नामित (जनका उपर्युक्त पैरा 3 (क,ख) में उल्लेख किया गया है और स्थायी समिति के ऐसे सदस्यों, जोकि सरकारी अधिकारी है और आयोग और इसकी समितियों की बैठक (ों) में भाग लेते हैं, को यात्रा भत्ता केन्द्रीय राजस्व में प्राप्त होगा और खर्च का उसके वेतन के रूप में उसी शीर्ष के नाम में डाला जायेगा ।

8. भारत सरकार द्वारा सदस्यों के रूप में मनोनीत शासनेतर व्यक्तियों को और स्थायी समिति के शासनेतर व्यक्तियों को आयोग की और उसकी समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए केन्द्रीय सरकार के प्रथम प्रक्रम (ग्रेड) के अधिकारियों को दिये जानेवाले भत्तों की दर से यात्रा भत्ते और केन्द्रीय सरकार के प्रथम प्रक्रम (ग्रेड–I) के अधिकारियों को विभिन्न स्थानों के लिए अनुमन्य सबसे ऊंची दर से दैनिक भत्ता दिया जायेगा। व्यय राष्ट्रीय अभिलेखागार के आय–व्यय अनुदान (बजट ग्राण्ट) से किया जायेगा । राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, और अन्य संघटक (कान्स्टिट्यूएण्ट) संस्थानों से अपेक्षा की जायेगी कि वे अपने मनोनीत व्यक्तियों के यात्रा भत्तों का व्यय स्वयं करें । केन्द्रीय सरकार के मनोनीत व्यक्तियों से भिन्न शासनेतर सदस्यों, को, जो भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की किसी भी समिति में काम करने के लिए नियुक्त किये जाये, यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता उसी दर से दिया जायेगा जिस दर से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त उन शासनेतर सदस्यों को दिया जाता है जो साधारण सदस्यों के रूप में नियुक्त किये जाते हैं ।

रतन चन्द सूद, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई, 1984

संकल्प

सं० ई–11015/33/82–हिन्दी—भारत सरकार ने इस मंत्रालय के दिनांक 14 अगस्त, 1981 संकल्प संख्या ई–11015/1/80–हिन्दी द्वारा गठित इस मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का कार्यकाल 1 अगस्त 1981 से बढ़ाकर 31 जनवरी, 1985 तक करने का निर्णय लिया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और लेखा महानिदेशक को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

विजेन्द्र सिंह जाफा संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 18 अगस्त, 1984

सं० 10/3/84 के० स० II—संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1985 में निम्नलिखित सेवाओं/पदों की अस्थायी रिक्तियों में नियुक्ति के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं :—

(i) भारतीय विदेश सेवा (ख)—(आशुलिपि उप-संवर्ग का ग्रेड-II)

(ii) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड ग (उक्त ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु)

(iii) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड ग (इस ग्रेड का चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए)

(iv) सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा—ग्रेड ग और

(v) भारत सरकार के कुछ अन्य विभागों/संगठनों तथा सम्बद्ध कार्यालयों में आशुलिपिकों के पद जो भारतीय विदेश सेवा ख/रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में सम्मिलित नहीं हैं।

1. उपर्युक्त सेवाओं/पदों में से किसी एक या एक से अधिक सेवा सम्बन्धित परीक्षा में प्रवेश के लिए कोई भी उम्मीदवार आवेदन कर सकता है। वह इनमें से जितनी सेवाओं/पदों के लिए विचार किए जाने का इच्छुक है उनका उल्लेख अपने आवेदन पत्र में कर सकता है।

टिप्पणी 1—उम्मीदवारों को चाहिए कि वे जिन सेवाओं/पदों के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हों उनका वरीयता क्रम स्पष्ट रूप से लिख दें।

उम्मीदवारों द्वारा निर्दिष्ट उन सेवाओं/पदों के वरीयता क्रम में परिवर्तन से सम्बद्ध किसी अनुरोध पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा अनुरोध रोजगार समाचार में लिखित परीक्षा के परिणामों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में प्राप्त नहीं हो जाता।

टिप्पणी 2—इस परीक्षा के माध्यम से भर्ती करने वाले कुछ विभागों/कार्यालयों को केवल अंग्रेजी आशुलिपिकों की ही आवश्यकता होगी और इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्ति केवल उन्हीं उम्मीदवारों में से की जाएगी जिन्हें लिखित परीक्षा तथा अंग्रेजी के आशुलिपिक परीक्षण के आधार पर आयोग द्वारा अनुशंसित किया जाता है (द्रष्टव्य : नियमावली के परिशिष्ट I का पैरा 4)।

2. परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में बताई जायेगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए पद सरकार द्वारा निश्चित रिक्तियों को देखते हुए आरक्षित रखे जाएंगे।

3. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट I में निर्धारित ढंग से ली जाएगी।

परीक्षा की तारीख और स्थान, आयोग द्वारा निर्धारित किए जायेंगे।

4. (1) उम्मीदवार को या तो—

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(ङ) कोई भारत मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और कीनिया, उगांडा, तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार), पूर्वी अफ्रीका के देशों से या जांबिया, मलावी, जेरे, इथियोपिया और वियतनाम से आया हो।

परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ङ) वर्गों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजिबिलिटी), प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

परन्तु यह शर्त और कि उपर्युक्त (ख), (ग) और (घ) के वर्गों के उम्मीदवार भारतीय, विदेश सेवा (ख)—आशुलिपिक उप-संवर्ग का ग्रेड (II) से नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

(2) परीक्षा में ऐसे उम्मीदवार को भी, जिसके लिए पात्रता-प्रमाण पत्र आवश्यक हो, परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है परन्तु उसे नियुक्ति प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र दिए जाने पर ही दिया जाएगा।

5. ऐसे किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तीन से अधिक बार बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का नहीं है। किन्तु यह प्रतिबन्ध 1962 में हुई परीक्षा से प्रभावी होगा।

टिप्पणी 1—इस नियम के प्रयोजन के लिए परीक्षा से अभिप्राय है आशुलिपिक परीक्षा, आशुलिपिक (आपातकालीन कमीशन/अल्पकालीन कमीशन प्राप्त निर्मुक्त अधिकारी तथा भूतपूर्व सैनिक) परीक्षा तथा आशुलिपिक (भूतपूर्व सैनिक) परीक्षा।

टिप्पणी 2—यदि कोई उम्मीदवार एक या अधिक सेवाओं/पदों के प्रतियोगिता में बैठे तो इस नियम के प्रयोजन के लिए उस उम्मीदवार को परीक्षा के अन्तर्गत आने वाली सभी सेवाओं/पदों के लिए एक बार प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा माना जाएगा।

टिप्पणी 3—किसी उम्मीदवार को प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा तब माना जाएगा, जब वह वास्तव में किसी एक या अधिक विषयों की परीक्षा में बैठा हो।

टिप्पणी 4—उम्मीदवार के परीक्षा में उपस्थित होने को उसके द्वारा लिया गया एक अवसर गिना जाएगा चाहे वह परीक्षा हेतु अयोग्य ठहरा दिया जाए/उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाए।

6. (क) इस परीक्षा में प्रवेश के लिए यह आवश्यक है कि उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी, 1985 को पूरे 18 वर्ष की हो गई हो किन्तु उसकी आयु पूरे 25 वर्ष न हुई हो, अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1960 से पहले और 1 जनवरी, 1967 के बाद न हुआ हो।

(ख) उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में ऊपरी आयु सीमा में 35 वर्ष की आयु तक छूट दी जा सकती है जो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों अथवा निर्वाचन आयोग तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग और लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय के अधीन व्यक्तियों सहित, भारत सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में आशुलिपिक (जिनमें भाषा आशुलिपिक भी शामिल हैं)/लिपिक/आशुटंककों के पदों पर नियमित रूप से नियुक्त हैं और 1 जनवरी 1985 को जिन्होंने आशुलिपिक (भाषा आशुलिपिक समेत)/लिपिकों/आशुटंककों के रूप में कम से कम तीन वर्ष निरन्तर सेवा की तथा उक्त पदों पर अभी तक काम कर रहे हैं।

परन्तु उपर्युक्त आयु संबंधी छूट उन व्यक्तियों को नहीं दी जाएगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पहले ली गई परीक्षाओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी में आशुलिपिकों के रूप में नियुक्त किए जा चुके हैं।

(1) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड-ग, या

(2) रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड-ग, या

(3) भारतीय विदेश सेवा (ख) आशुलिपिक उपसवर्ग का ग्रेड II, या

(4) सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड-ग ।

टिप्पणी 1 —डाक व तार विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त रेल डाक छटाईकारों द्वारा की गई सेवा उपर्युक्त नियम 6(ख) के प्रयोजन के लिए लिपिक के ग्रेड में दी गई सेवा मानी जाएगी ।

टिप्पणी 2 — रक्षा प्रतिष्ठानों में नियुक्त सेवा लिपिकों द्वारा की गई सेवा उपर्युक्त नियम 6(ख) के प्रयोजन के लिए नहीं गिनी जाएगी ।

(ग) ऊपर बताई गई अधिकतम आयु-सीमा में निम्नलिखित मामलों में और ढील दी जा सकेगी :—

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक ।

(ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक ।

(iii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जनजाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक ।

(iv) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से वास्तविक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1954 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक ।

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो और श्रीलंका से वास्तविक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक ।

(vi) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया, उगांडा या संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो या जाम्बिया, मलावी, जेरे और इथियोपिया से प्रत्यावर्तित हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक ।

(vii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है और कीनिया, उगांडा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) से भारत मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति भी है या जाम्बिया, मलावी, जेरे तथा इथियोपिया का भारत मूल का प्रत्यावर्तित व्यक्ति है तो अधिकतम आठ वर्ष तक ।

(viii) यदि उम्मीदवार बर्मा से वास्तविक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक ।

(ix) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो और बर्मा से वास्तविक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो तथा उसने 1 जून 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक ।

(x) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से मुक्त किए गए रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक तीन वर्ष तक ।

(xi) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हों, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक ।

(xii) यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय परिपत्र हो) और ऐसा उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपातकाल का प्रमाण-पत्र है, और जो वियतनाम से जुलाई, 1978 से पहले भारत नहीं आया है, तो उसके लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष ।

(xiii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है तथा भारत मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति (भारतीय परिपत्रधारी) है तथा साथ ही वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी आपातकाल प्रमाण पत्र रखने वाला, ऐसा उम्मीदवार है जो वियतनाम से जुलाई 1975 के बाद आया है तो अधिकतम आठ वर्ष तक ।

(xiv) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने पहली जनवरी, 1985 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या अक्षमता के कारण कार्यमुक्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित है जिनका कार्यकाल पहली जनवरी, 1985 से छः महीनों के अन्दर पूरा होना है) उनके मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक ।

(xv) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने पहली जनवरी, 1985 को कम से कम पांच वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या अक्षमता के कारण कार्यमुक्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं, जिनका कार्यकाल पहली जनवरी, 1985 से छः महीनों के अन्दर पूरा होना है) तथा जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के हैं उनके मामले में अधिक से अधिक दस वर्ष तक ।

(xvi) यदि कोई उम्मीदवार तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है और भारत में 1 जनवरी, 1971 तथा 31 मार्च, 1973 के बीच की अवधि के दौरान प्रव्रजन कर आया था तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक ।

(xvii) यदि कोई उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है और तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है और भारत में 1 जनवरी, 1971 तथा 31 मार्च, 1973 के बीच की अवधि के दौरान प्रव्रजन कर आया था तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक ।

ऊपर की गई व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकती।

विशेष ध्यान :— (i) जिस उम्मीदवार को नियम 6 (ख) के अधीन परीक्षा में प्रवेश दे दिया गया हो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद वह परीक्षा से पहले या परीक्षा देने के बाद सेवा से त्यागपत्र दे देता है या विभाग द्वारा उसकी सेवायें समाप्त कर दी जाती हैं। किन्तु आवेदन पत्र भेजने के बाद यदि उसकी सेवा या पद से छंटनी हो जाती है तो वह पात्र बना रहेगा।

(ii) ऐसा आशुलिपिक (भाषा आशुलिपिक रहित) लिपिक/आशुटंकक जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर है अथवा जिसे किसी अन्य पद पर स्थानान्तरित कर दिया गया है परन्तु उसका धारणाधिकार उस पद पर है जिससे वह स्थानान्तरित किया गया था, यदि वह अन्यथा पात्र है परीक्षा में बैठने का पात्र होगा।

7. उम्मीदवार ने भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा अवश्य पास की हो, अथवा उसके पास किसी राज्य के शिक्षा बोर्ड के द्वारा माध्यमिक स्कूल कोर्स के अन्त में स्कूल लीविंग, माध्यमिक स्कूल, हाई स्कूल परीक्षा, या कोई और प्रमाण-पत्र हो जो राज्य सरकारों की नौकरी में प्रवेश के लिए मैट्रिक के प्रमाण-पत्र के समकक्ष हो।

टिप्पणी 1 :— कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी कोई परीक्षा दे दी है जिसके पास करने पर वह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप से पात्र होगा परन्तु उसे परीक्षा फल की सूचना नहीं मिली है तथा ऐसा उम्मीदवार जो ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठने का इच्छुक है, आयोग की परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र नहीं होगा।

टिप्पणी 2 :— विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं, बशर्ते, कि उम्मीदवारों ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है।

8. उन सभी उम्मीदवारों का, जो पहले से सरकारी नौकरी में, आकस्मिक या दैनिक दर कर्मचारी से इतर स्थायी या अस्थायी हैसियत से या कार्य प्रभारित कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हों या जो लोक उद्यमों में सेवारत हों तो यह परिवचन (अंडरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

9. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

10. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमीशन) न हो।

11. उम्मीदवार को आयोग के नोटिस के पैरा 7 में निर्धारित फीस देनी होगी।

12. जिस उम्मीदवार ने :—

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य पालन कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाणपत्र या ऐसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या

(viii) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, या

(ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, या

(x) परीक्षाएं चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

(xi) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाण-पत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन किया हो, या

(xii) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग का अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो तो उन पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे :—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक

(i) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।

13. परीक्षा के बाद आयोग हर एक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिए गए कुल प्राप्तांकों के आधार पर उसके योग्यताक्रम के अनुसार उनके नामों की सूची बनाएगा और उस क्रम के अनुसार आयोग उस परीक्षा में जितने उम्मीदवारों को अर्हता प्राप्त समझेगा उनके नाम अपेक्षित संख्या तक केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड—ग तथा रेलवे

बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए और इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली अन्य सेवाओं/पदों में अनारक्षित रिक्तियों में नियुक्ति के लिए प्रोक्षित संख्या तक के नामों की अनुशंसा की जाएगी ।

परन्तु यदि सामान्य स्तर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक अनुसूचित जातियों अथवा जन जातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हों, तो आरक्षित कोटा में कमी पूरी करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर चाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान हो केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड—"ग"/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए अनुशंसित किए जा सकेंगे बशर्ते कि ये उम्मीदवार इन सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हों ।

14. नियमों की अन्य व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति करते समय उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में विशेष सेवाओं/पदों के लिए बताए गए वरीयता क्रम पर उचित ध्यान दिया जाएगा ।

15. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षा परिणाम की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा और आयोग परीक्षा परिणाम के बारे में उनसे कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा ।

16. परीक्षा में पास होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट नहीं हो जाए कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववृत्त की दृष्टि से इस सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है ।

17. जिस व्यक्ति ने

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है जिसका जीवित पति/पत्नी पहले से है, या

(ख) जीवित पति/पत्नी के रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है

तो वह सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह सूत्र के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है ।

18. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो संबंधित सेवा/पद के अधिकारी के रूप में अपने पद के कुशलतापूर्वक निभाने में बाधक हो । यदि सक्षम अधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ है कि वह इन शर्तों को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी । केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जाएगी जिनकी नियुक्ति के संबन्ध में विचार किए जाने की सम्भावना हो ।

टिप्पणी :—भूतपूर्व रक्षा सेवा के विकलांग कार्मिकों के सम्बन्ध में रक्षा सेवा के डिमोबोलाइजेशन मेडिकल बोर्ड द्वारा दिया गया स्वस्थता प्रमाण पत्र नियुक्ति के लिए पर्याप्त समझा जाएगा ।

19. इस परीक्षा के द्वारा जिस सेवा के लिए भर्ती की जा रही है उसके संविधान विवरण परिशिष्ट II में दिए गए हैं ।

एच० जी० मण्डल, अवर सचिव

परिशिष्ट I

1. परीक्षा के विषय, प्रत्येक विषय के लिए दिया गया समय तथा पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

भाग क—लिखित परीक्षा

विषय	दिया गया समय	पूर्णांक
(I) सामान्य अंग्रेजी	2 घण्टे	100
(II) निबन्ध	2 घण्टे	100
(III) सामान्य ज्ञान	2 घण्टे	100

भाग ख—हिन्दी या अंग्रेजी में आशुलिपिक परीक्षा (लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले के लिए)—300 अंक

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को अपने आशुलिपिक नोट टंकन मशीन पर लिप्यन्तर करने होंगे और इस प्रयोजन के लिए उन्हें अपनी टंकण मशीन लानी होगी ।

2. सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्रों में वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न होंगे, प्रश्नों के नमूने सहित विवरण के लिए आयोग के नोटिस (अनुबन्ध II) के साथ लगी उम्मीदवारों के लिए सूचना पुस्तिका देखिए ।

3. लिखित परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण तथा आशुलिपि परीक्षाओं की योजना उस परिशिष्ट की संलग्न अनुसूची के अनुसार होगी ।

4 उम्मीदवार "निबन्ध" के प्रश्न पत्र II का उत्तर हिन्दी (देवनागरी लिपि) या अंग्रेजी में दे सकते हैं । यह विकल्प पूरे प्रश्न पत्र पर लागू होगा न कि उसके किसी भाग पर ।

जिन उम्मीदवारों ने निबन्ध के प्रश्न पत्र का उत्तर देने के लिए हिन्दी (देवनागरी) का विकल्प दिया है यदि वे चाहें तो कोष्ठकों में तकनीकी शब्दों को हिन्दी में लिखने के साथ उनका अंग्रेजी रूपांतर कोष्ठकों में लिख दें ।

जो उम्मीदवार उपर्युक्त प्रश्न पत्र के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में लिखने का विकल्प देंगे उन्हें आशुलिपि की परीक्षा भी केवल (देवनागरी) में ही देनी होगी और जो उम्मीदवार उपर्युक्त प्रश्न-पत्र के उत्तर अंग्रेजी में लिखने का विकल्प देंगे उन्हें आशुलिपि की परीक्षा भी केवल अंग्रेजी में ही देनी होगी ।

निबन्ध और सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र (हिन्दी और अंग्रेजी) दोनों में तैयार किए जायेंगे ।

टिप्पणी 1:— जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में निबन्ध के प्रश्न (II) का उत्तर तथा आशुलिपि परीक्षा हिन्दी में देने के इच्छुक हों तो यह विकल्प आवेदन पत्र के कालम 8 में लिखे अन्यथा यह माना जाएगा कि उम्मीदवार लिखित परीक्षा तथा आशुलिपिक परीक्षा अंग्रेजी में देंगे ।

एक बार दिया गया विकल्प अंतिम समझा जाएगा और उसे कालम में कोई परिवर्तन करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

यदि उम्मीदवार ने आवेदन पत्र में निर्दिष्ट माध्यम के अलावा अन्य माध्यम से परीक्षा दी है तो ऐसे उम्मीदवारों के प्रश्न-पत्र (पत्रों) का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा ।

टिप्पणी 2:— जो उम्मीदवार आशुलिपि परीक्षा हिन्दी में देने का विकल्प देंगे उन्हें अंग्रेजी आशुलिपि और जो आशुलिपि परीक्षा अंग्रेजी में देने का विकल्प देंगे उन्हें हिन्दी आशुलिपि नियुक्ति के बाद सीखनी होगी ।

टिप्पणी 3 :— जो उम्मीदवार किसी विदेश में स्थित भारतीय मिशन पर परीक्षा देना चाहता है उसे विदेश स्थित किसी ऐसे भारतीय मिशन पर अपने खर्च पर स्टेनोग्राफी परीक्षण देना होगा जहां ऐसा परीक्षण करने की व्यवस्था सुलभ है ।

5. लिखित परीक्षा का प्रश्न-पत्र (I सामान्य अंग्रेजी) केवल अंग्रेजी में ही तैयार किया जाएगा और सभी उम्मीदवारों द्वारा अंग्रेजी में ही उत्तर दिए जाएंगे ।

6. जो उम्मीदवार 120 शब्द प्रति मिनट वाले श्रुतलेख में न्यूनतम अर्हता प्राप्त कर लेंगे उन्हें 100 शब्द प्रति मिनट वाले श्रुतलेख में वही स्तर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के क्रम में ऊंचा रखा जाएगा । प्रत्येक ग्रुप में उम्मीदवारों को प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए कुल अंकों के अनुसार पारस्परिक योग्यता अनुक्रम में रखा जाएगा । (दृष्टव्य: निम्नलिखित अनुसूची का भाग ख) ।

7. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

8. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है ।

9. केवल उन्हीं उम्मीदवारों को आशुलिपि परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा जो आयोग की विवक्षा के अनुसार न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेंगे ।

10. केवल ससही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे ।

11. अस्पष्ट लिखावट के कारण लिखित विषयों में पूर्णांकों में से 5 प्रतिशत अंक काट लिए जाएंगे ।

12. निबन्ध के प्रश्न पत्र की परीक्षा में कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई भावाभिव्यक्ति को विशेष महत्व दिया जाएगा ।

13. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात् 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए ।

अनुसूची

भाग क

लिखित परीक्षा का स्तर और पाठ्य विवरण

टिप्पणी :— भाग 'क' के प्रश्न पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जो किसी भारतीय विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा का होता है ।

सामान्य अंग्रेजी :— यह प्रश्न पत्र इस ढंग से तैयार किया जायेगा कि इससे उम्मीदवार के अंग्रेजी व्याकरण और निबन्ध रचना के ज्ञान की तथा अंग्रेजी भाषा को समझने और शुद्ध अंग्रेजी लिखने की उनकी योग्यता की जांच हो जाये। इस प्रश्न पत्र में शब्दों के शुद्ध प्रयोग, आसान मुहावरों और अव्यय (प्रिपोजीशन) डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आदि शामिल किये जा सकते हैं।

निबन्ध :— उम्मीदवारों को दो प्रकरणों पर निबन्ध लिखना होगा। विषय चुनने की छूट दी जायेगी। उनसे यह आशा की जाएगी कि वे अपने विचार व्यवस्थित रूप से निबन्ध के विषय के सम्बन्ध में ही संक्षिप्त रूप से लिखेंगे। प्रभावपूर्ण ढंग से तथा ठीक-ठीक भाव व्यक्त करने वालों को श्रेय दिया जायेगा।

सामान्य ज्ञान :—निम्नलिखित विषयों की थोड़ी बहुत जानकारी : भारत का संविधान, पंचवर्षीय योजनाएं, भारतीय इतिहास और संस्कृति, भारत का सामान्य और आर्थिक भूगोल, वर्तमान घटना क्रम, सामान्य विज्ञान और दिन-प्रतिदिन नजर आने वाली ऐसी बातें जिनकी जानकारी पढ़े-लिखे व्यक्ति को होनी चाहिये। उम्मीदवारों के उत्तरों से यह प्रकट होना चाहिये कि उन्होंने प्रश्नों को अच्छी तरह से समझा है। उनके उत्तरों में किसी पाठ्यपुस्तक के ब्यौरेवार ज्ञान की अपेक्षा नहीं की जाती है।

भाग ख

आशुलिपिक परीक्षा की योजना

आशुलिपि परीक्षाओं की योजना : अंग्रेजी में आशुलिपि की परीक्षाओं में दो श्रुतलेख परीक्षायें होंगी । एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट के लिये और दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट के लिये जो उम्मीदवार को क्रमश: 45 तथा 50 मिनटों में लिप्यंतर करने होंगे ।

हिन्दी में आशुलिपि की परीक्षाओं में दो श्रुतलेख परीक्षायें होंगी एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट के लिये और दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट के लिये जो उम्मीदवारों को क्रमश 60 तथा 65 मिनटों में लिप्यंतर करने होंगे ।

परिशिष्ट II

उन सेवाओं/पदों से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण जिनके लिये इस परीक्षा द्वारा भर्ती की जा रही है :—

क—केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में इस समय निम्नलिखित चार ग्रेड हैं :—

ग्रेड क: रु० 650–30–740–35–810–रु० रो०–35–880–40–1000–रु० रो०–40–1200 ।

ग्रेड ख : रु० 650–30–740–35–880–रु० रो०–40–1040 ।

ग्रेड ग : रु० 425–15–500–रु० रो०–15–560–20–700–रु० रो०–25–800 ।

ग्रेड घ : रु० 330–10–380–रु० रो०–12–500–रु० रो०–15–560 ।

ग्रेड ख से ग्रेड क में पदोन्नत हुए व्यक्तियों को वेतन इस वेतनमान में न्यूनतम रु० 775/– पर निर्धारित कर दिया गया है । ग्रेड–ग से पदोन्नत होने वाले व्यक्तियों का वेतन इस वेतनमान में रु० 710 पर निर्धारित किया जायेगा ।

(2) उक्त सेवा के ग्रेड ग में नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। इस अवधि के दौरान उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने पड़ सकते हैं और परीक्षायें देनी पड़ सकती हैं।

(3) परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर सरकार संबंधित व्यक्ति को उसके पद पर स्थाई कर सकती है या यदि उसका कार्य अथवा आचरण सरकार की राय में असन्तोषजनक रहा हो तो उसे सेवा से निकाला जा सकता है या सरकार उसकी परिवीक्षा अवधि जितनी और बढ़ाना उचित समझे बढ़ा सकती है।

(4) सेवा के ग्रेड ग में भर्ती किये गये व्यक्तियों को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा योजना में भाग लेने वाले मंत्रालयों या कार्यालयों में से किसी एक में नियुक्त कर दिया जायेगा। किन्तु उसकी किसी भी समय किसी भी ऐसे अन्य मंत्रालय या कार्यालय में बदली हो सकती है।

(5) सेवा के ग्रेड ग में भर्ती किये गये व्यक्ति इस सम्बन्ध में समय समय पर लागू नियमों के अनुसार अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नत किये जाने के पात्र होंगे।

(6) जिन लोगों की नियुक्ति सेवा के ग्रेड ग में उनके अपने विकल्प के अनुसार की जायेगी। उस नियुक्ति के पश्चात् भारतीय विदेश सेवा (ख) के संवर्ग अथवा रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा योजना में शामिल किसी पद पर स्थानान्तरण या नियुक्ति का दावा न कर सकेंगे।

ख—रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा :

(क) (i) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में इस समय निम्न चार ग्रेड हैं :—

ग्रेड क : रु० 650(775)–35–880–40–1000–रु० रो०–40–1200 ।

ग्रेड ख: रु० 650–30–740–35–880–रु० रो०–40–1040 ।

ग्रेड ग : रु० 425–15–500–रु० रो०–15–560–20–700–रु० रो०–25–800 ।

ग्रेड घ : रु० 330–10–380–रु० रो०–12–500–रु० रो०–15–560 ।

ग्रेड ख से ग्रेड क पदोन्नत व्यक्तियों का उक्त वेतनमान में रु० 775/ प्र० मा० न्यूनतम वेतन दिया जाता ।

ग्रेड ग से ग्रेड ख में पदोन्नत व्यक्तियों को उक्त वेतनमान में रु० 710/- प्र० मा० न्यूनतम वेतन दिया जाता है।

(ii) उक्त सेवा के ग्रेड ग मे भर्ती किये गये व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन रहेंगे। इस अवधि के दौरान उन्हें ऐसा प्रशिक्षण लेना पड़ेगा तथा ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी जो सरकार समय-समय पर निर्धारित करे। परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर यदि यह पाया गया कि सरकार की राय में उनमें से किसी भी व्यक्ति का कार्य या आचरण असन्तोषजनक रहा है तो उसे सेवा मुक्त किया जा सकता है या उसकी परिवीक्षा की अवधि को सरकार द्वारा अपेक्षित अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) उक्त सेवा के ग्रेड ग में भर्ती किये गये व्यक्ति इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के पात्र होंगे।

(ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा रेल मंत्रालय तक ही सीमित है तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की तरह कर्मचारियों का अन्य मंत्रालयों में स्थानान्तरण नहीं होता है।

(ग) इन नियमों के अधीन भर्ती किये गये रेलवे बोर्ड आशुलिपिक सेवा के अधिकारी :—

(i) पेंशन लाभ के पात्र होंगे, तथा

(ii) सेवा में आने की तारीख को नियुक्त रेल कर्मचारियों पर लागू गैर अंशदायी रेल भविष्य निधि के अधीन उक्त निधि में अभिदान करेंगे।

(घ) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में नियुक्त उम्मीदवार रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार पास और विशेषाधिकार टिकट आदेश का हकदार होगा।

(ङ) जहां तक अवकाश तथा सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में सम्मिलित स्टाफ के साथ वैसा ही बर्ताव किया जाता है जैसे कि रेलवे के अन्य स्टाफ से, किन्तु चिकित्सा सुविधाओं के मामले में वे केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों पर लागू नियमों से शासित होंगे जिनका मुख्यालय नई दिल्ली होगा।

ग—भारतीय विदेश सेवा (ख) आशुलिपिक उप संवर्ग का ग्रेड II

भारतीय विदेश सेवा (ख) आशुलिपिकों के उप संवर्ग में इस समय निम्नलिखित चार ग्रेड हैं :—

चयन ग्रेड : रु० 775-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200।

ग्रेड I : रु० 650-30-740-35-880-द० रो०-40-1040।

ग्रेड II : रु० 425-15-500-द० रो०-15-560-20-700-द० रो० 25-800।

ग्रेड III : रु० 330-10-380-द० रो०-12-500-द० रो०-15-560।

(ग्रेड II से पदोन्नत होने वाले व्यक्तियों का वेतन इस वेतनमान में न्यूनतम रु० 710 पर निर्धारित किया जायेगा।)

2. इस सेवा के ग्रेड II में भर्ती किये गये व्यक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर होंगे। इस अवधि के दौरान उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने पड़ सकते हैं और परीक्षाएं देनी पड़ सकती हैं। परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर यदि उनमें से किसी का कार्य या आचरण सरकार की राय में असन्तोषजनक रहा हो तो उसे सेवा से निकाला जा सकता है या सरकार उसकी परिवीक्षा अवधि जितनी और बढ़ाना उचित समझे बढ़ा सकती है।

3. भारतीय विदेश सेवा (शाखा—ख) आशुलिपिकों के उप-संवर्ग I में नियुक्त अधिकारी भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' (प्रार० सी० एस० पी०) नियमावली 1964 भारतीय विदेश सेवा (पी० एल० सी० ए०) नियमावली 1961 जो भारतीय विदेश सेवा 'ख' के अधिकारियों पर लागू की गई है तथा वे अन्य नियम और आदेश जो भारत सरकार द्वारा उन पर लागू किए जाएं द्वारा शासित होंगे।

4. भारतीय विदेश सेवा शाखा (ख) विदेश मंत्रालय और विदेश में भारतीय मिशनों तक ही सीमित है। इस सेवा में नियुक्त अधिकारी वाणिज्य मंत्रालय को छोड़कर सामान्यतया अन्य मंत्रालयों में स्थानान्तरित नहीं किए जा सकेंगे। परन्तु वे विदेशों में अन्य मंत्रालयों में निर्मित पदों पर तथा अन्तर्राष्ट्रीय आयोगों में भी नियुक्त किए जा सकते हैं। वे भारत में तथा भारत के बाहर कहीं भी उन स्थानों सहित जहां परिवार का कोई भी सदस्य साथ नहीं रखना होता सेवा पर भेजे जा सकते हैं।

5. भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों को विदेशों में, उनके मूल वेतन के अतिरिक्त उस दर से विशेष भत्ता दिया जाएगा, जो संबद्ध देशों के निर्वाह खर्च आदि के आधार पर समय-समय पर स्वीकार किया जाए। इसके अतिरिक्त भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों के लिए लागू भारतीय विदेश सेवा (पी०एल०सी०ए०) नियमावली, 1961 के अनुसार विदेश सेवा अवधि में निम्नलिखित रियायतें भी स्वीकार्य होंगी :—

(i) सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुसार निःशुल्क सुसज्जित आवास।

(ii) सहायता प्राप्त चिकित्सा परिचर्या योजना के अन्तर्गत चिकित्सा परिचर्या सुविधाएं।

(iii) 8 और 21 वर्ष की आयु के बीच के अधिक से अधिक दो बच्चों के लिए जो भारत में पढ़ रहे हों अथवा एक बच्चा भारत तथा दूसरा विदेश में अधिकारी की तैनाती से इतर किसी अन्य देश में पढ़ रहा हो कतिपय शर्तों के अधीन वायु मार्ग द्वारा वापसी यात्रा व्यय। यदि सरकारी कर्मचारियों के भारत में शिक्षा प्राप्त कर रहे 8 और 21 वर्ष की आयु के बीच दो से अधिक बच्चे हैं तो उसे विदेश में अपने माता-पिता के पास यात्रा करने वाले दो बच्चों के बदले अपनी पत्नी को छुट्टियों के दौरान भारत भेजने का विकल्प होगा। ऐसे किसी मामले में सरकारी कर्मचारी की पत्नी सस्ती से सस्ती उपलब्ध श्रेणी से वायु मार्ग द्वारा वापसी यात्रा व्यय की हकदार होगी।

(iv) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर से 5 से 18 वर्ष के अधिक से अधिक दो बच्चों का शिक्षा भत्ता।

(v) विहित नियमों और समय-समय पर सरकार द्वारा निश्चित दरों के अनुसार विदेशों में सेवा करने के संबंध में सज्जाकरण भत्ता। साधारण सज्जाकरण भत्ते के अतिरिक्त असाधारण ठण्डी जलवायु वाले देशों में नियुक्त अधिकारियों को विशिष्ट सज्जाकरण भत्ता प्राप्त होगा।

(vi) विहित नियमों के अनुसार अधिकारियों और उनके परिवारों को घर जाने की छुट्टी का यात्रा किराया।

6. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 जो समय-समय पर संशोधित किए गए हैं, कतिपय संशोधनों के अधीन इस सेवा के सदस्यों पर लागू होंगे। ये अधिकारी कुछ पड़ोसी देशों को छोड़कर विदेश सेवा में केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन प्राप्त छुट्टियों के 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त छुट्टी जमा कर सकेंगे।

7. उक्त अधिकारी जो भारत में होंगे, वे ऐसी रियायतों के हकदार होंगे, जो बराबर तथा एक समान स्तर के अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए प्राप्त हों।

8. भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारी सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली, 1960 जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, तथा उसके अन्तर्गत जारी किए गए आदेशों द्वारा शासित होंगे।

9. इस सेवा में नियुक्त अधिकारी केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है और इसके अन्तर्गत जारी किए गए आदेशों के द्वारा शासित होंगे।

ख—सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा :

सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में इस समय निम्नलिखित चार ग्रेड हैं :—

1. ग्रेड क—आशुलिपिक (निजी सचिव)—ग्रुप ख—राजपत्रित (चयन ग्रेड)

वेतनमान :—रु० 650* (775) *—30—740—35—810—रु०रो०—35—880—40—1000—रु० रो०—40—1200।

*ग्रेड ख से पदोन्नत किए गए अधिकारियों को गारंटी शुदा न्यूनतम वेतन दिया जाएगा।

2. ग्रेड ख आशुलिपिक (वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक)—ग्रुप ख—राजपत्रित।

वेतनमान —रु० 650 (710)†—30—740—35—880—रु० रो०—40—1040।

†ग्रेड ग से पदोन्नत किए गए अधिकारियों को गारंटीशुदा न्यूनतम वेतन दिया जाएगा।

3. ग्रेड ग आशुलिपिक (वैयक्तिक सहायक) ग्रुप ख—अराजपत्रित।

वेतनमान रु० 425—15—500—रु० रो०—15—560—20—700—रु० रो०—25—800।

4 ग्रेड घ आशुलिपिक—ग्रुप ग।

वेतनमान रु० 330—10—380—रु० रो०—12—500—रु० रो०—15—560।

2 अस्थायी आशुलिपिक ग्रेड—ग (वैयक्तिक सहायक) के रूप में सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। इस अवधि में यदि असंतोषजनक सेवा अभिलेख रहा, तो परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवा से निकाला जा सकता है। परिवीक्षाधीन अवधि में उन्हें समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने पड़ सकते हैं और परीक्षाएं देनी पड़ सकती हैं।

3. सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में भर्ती किया गया ग्रेड ग का आशुलिपिक सामान्यतः सशस्त्र सेना मुख्यालय और दिल्ली/नई दिल्ली स्थित अंतर सेवा संगठन के किसी कार्यालय में नियुक्त किया जाएगा। वह दिल्ली/नई दिल्ली के बाहर अन्य स्थानों पर भी नियुक्त किया जा सकेगा जहां सशस्त्र सेना मुख्यालय/अन्तर सेवा संगठन के कार्यालय स्थित हों।

4. ग्रेड ग के आशुलिपिक ग्रेड ख (वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक) के पदों पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे और ग्रेड ख आशुलिपिक (वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक) समय-समय पर लागू किए गए नियमों के अनुसार ग्रेड क के आशुलिपिक (निजी सचिव) के रूप में पदोन्नति के पात्र होंगे।

5 छुट्टी, चिकित्सा सहायता और सेवा की अन्य शर्तें वही हैं जो सशस्त्र सेना मुख्यालय और अंतर सेवा संगठनों में नियुक्त अन्य लिपिक-वर्गीय कर्मचारियों के लिए लागू हैं।

PRESIDENT S SECRETARIAT

New Delhi, the 2nd August 1984

No 85-Pres|84—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the officer

Shri Kripal Singh,
Deputy Supdt, of Police,
39 Bn, CRPF

Statement of services for which the decoration has been awarded

Namrup Industrial township in Dibrugarh District of Assam State bordering Nagaland became a hot bed of political and criminal activities of agitators in Assam, on the Foreigners issue

Shri Kripal Singh, Dy Supdt, of Police, Central Reserve Police Force took over charge of a Company at Namrup (Assam) with a view to bring peace and tranquillity in the area On the 12th February, 1983 he received information that some miscreants will attack CRPF mobile patrol party in H F C Colony near Kherimya Basti in the darkness at night He studied the possible hideouts of the miscreants and planned for a surprise attack on the miscreants The patrol party carried out intensive patrolling and searched the suspected hideouts of the miscreants but could not succeed When the party under the command of Shri Kripal Singh entered the L P School Campus in pitch darkness, it was suddenly fired upon with a step gun Simultaneously, two country made bombs were hurled on the patrol party One of them exploded with a great noise hitting Constable Rajinder Singh Shri Kripal Singh unmindful of his personal safety and at great risk, started crawling towards the direction from where the sten gun was fired He saw a miscreant aiming the sten gun towards the police party. He ran towards him and caught hold of the miscreant alongwith the sten gun Soon the other members of the police party reached The other two miscreants managed to escape under the cover of darkness Certain arms and ammunition (including cash) were recovered from him

In this encounter Shri Kripal Singh Dy Supdt of Police, exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (1) of the rules governing the award of the Police Medal and Consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 12th February, 1983

No. 87-Pres|84 —The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Rajasthan Police —

Name and rank of the officers

Shri Harcharan Dass,
Platoon Commander,
8th Bn, RAC (IR),
Rajasthan

Shri Deep Singh,
Cook, 8th Bn, RAC (IR)
Rajasthan.

Statement of Services for which the decoration has been awarded

On the 3rd May, 1981 an open air film show and Kali-Puja functions were arranged at Maharani by the barrage authorities near the bridge connecting Maharani and Lakhipati As a large gathering was expected, one Assistant Sub-Inspector and four Constables of Rajasthan Armed Constabulary of Maharani post were detailed there for maintaining law and order Shri Harcharan Dass, Platoon Commander, incharge of Maharani post, was also present there

At about 1930 hours on 3rd May, 1981, while the film was being shown, a fire was seen in the house of Shri Nakul Paul On seeing the fire, the RAC personnel of Lakhipatti post, rushed to the spot and extinguished the fire When Shri Harcharan Dass, Platoon Commander, was informed about the fire, he immediately went to the scene of occurance While he was making necessary enquiries about the fire, he noticed another fire at a distance of about 250-300 yards in the house of Shri Hira Lal Sarkar He immediately rushed to that place with the Police Party for extinguishing the fire While controlling the fire, Shri Harcharan Dass heard some commotion from the place where the film was being shown He rushed there with the Police Party and saw one tribal Shri Durvasa Jamatia being brutally assaulted by a mob of non-tribals The victim sustained grievous injuries Without caring for his own life, Shri Harcharan Dass interposed himself between the mob and the victim and single-handedly dispersed the agitated mob by brandishing his lathi

Meanwhile Shri Harcharan Dass saw another armed group of non-tribals nearby, chasing and assaulting a tribal Shri Bishnu Kumar Debverma. The assailants caught old of the tribal and threw dust in his eyes with the result he fell down. Leaving the first victim with Shri Nandram, Constable, Shri Harcharan Dass interposed himself between the victim and the assailants and saved the life of Shri Debverma.

After leaving the second victim with Shri Surajmal, Constable, Shri Harcharan Dass rushed to deal with the bedlam at the nearby river bridge. On reaching there, he found Shri Deep Singh, Cook, keeping at bay a large violent mob of non-tribals, armed with deadly weapons, chasing a fleeing tribal Shri Prabhat Kumar Jamatia. The tribal has been encircled and was being assaulted by the mob. Shri Deep Singh at grave risk to his life forced his way through the mob and covered the victim by standing astride over him. He struck to the defence of the victim Shri Prabhat Kumar Jamatia till Shri Harcharan Dass with the Police party reached there to rescue him. The three injured tribals were later on rushed to the hospital.

In saving the lives of three tribals, Shri Harcharan Dass, Platoon Commander and Shri Deep Singh, Cook, exhibited gallantry, exemplary courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 3rd May, 1981.

No. 88-Pres|84.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Maharashtra Police :—

Name and rank of the officer

Shri H. S. Irani,
Sub-Inspector of Police,
CID, Greater Bombay.

Statement of services for which the decoration has been awarded

One Riyazkhan Dawoodkhan Pathan, a notorious dacoit and criminal of Bombay City, being involved in a number of cases, was arrested by the Police. While he was being escorted to jail on the 24th June, 1983, he managed to escape from the Police custody.

On the 29th June, 1983, on a tip of about the whereabouts of Riyazkhan, Shri H. S. Irani, Sub-Inspector of Police and his staff laid a trap in Damco Pada area of Bombay. As anticipated, Shri Irani noticed Riyazkhan coming towards the area in a taxi which slowed down in front of Sameer Hotel On seeing Shri Irani, Riyazkhan took the steering wheel after pulling the driver and started speeding away the taxi. Shri Irani and his staff followed the taxi in a jeep. Finally the taxi stopped on a heap of stone. When Shri Irani rushed towards the taxi, the two occupants of the taxi opened fire on him. Shri Irani also fired back in self defence. Then the two persons from the rear seat got down and started running towards North. They were chased by the staff. In the meantime Riyazkhan got down of the taxi and pointed out a pistol at Shri Irani threatening him of dire consequences. When Riyazkhan was about to fire at Shri Irani, the latter fired back at him. The bullet hit Riyazkhan and he was overpowered with the assistance of other staff and was disarmed.

In this encounter Shri H. S. Irani, Sub-Inspector exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowances admissible under rule 5, with effect from 29th June, 1983.

S. NILAKANTAN
Deputy Secretary to the President.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi, the the 27th July 1984

ORDER

No. 27|12|84-CL-II.—In pursuance of clause (ii) of sub-section (1) of Section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorises Shri S. K. Saha, Inspecting officer in the Department of Company Affairs for the purposes of the said section 209A.

C. L. PRATHAM, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 27th June 1984

F. No. A 12018|1|81-Ad.II.B.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules for regulating the method of recruitment to certain Group 'B' posts in the Narcotics Department, namely :—

1. *Short Title and Commencement* :

(1) These rules may be called the Narcotics Department (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. *Number of Post, Classification and scale of Pay* :

The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in colums 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. *Method of Recruitment, Age Limit, Other Qualifications etc*:

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualifications : No Person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. *Power to Relax* :

Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class of category of persons.

6. *Saving* :

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts.	Classification	Scale of Pay.	Whether Selection or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
District Opium Officer . . . . —27 Intelligence Officer . . —2 Superintendent (Executive) . . . . —9 Sales Manager . . . . . . —2 Deputy Manager . . . . . —1 —41	41* (1983)	General Central Service Group-B Gazetted-Non-Ministerial.	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.	Selection.

*Subject to variation dependent on workload.

Age Limit for direct recruits.	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972.	Educational and qualifications other required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct or by promotion or by deputation / and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(6a)	(7)	(8)	(9)	(10)
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	2 years	By promotion failing which by transfer on deputation.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If D.P.C. exists, what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion. Inspectors (Ordinary Grade) with 8 years regular service, in the grade, including service, if any, rendered in the grade of Inspector (Senior grade). **Transfer on deputation :** - Officers in the Central Excise Department holding the posts of superintendent of Central Excise Group 'B' or Inspectors of Central Excise with 8 years' service in the grade. (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same organisation/department shall ordinarily not exceed 3 years).	*Group 'B' D.P.C.* 1. Member, Central Board of Excise & Customs.—*Chairman* 2. Narcotics Commissioner-*Member* 3. One of the Directors in the Directorate under Central Board of Excise & Customs-*Member* 4. Secretary (Admn.)/Under Secretary, Central Board of Excise & Customs.	Consultation with the UPSC not necessary while selecting an officer for appointment to the post.

S.P. Kundu, Under Secy

MINISTRY OF INDUSTRY
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)
DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 7th July 1984

RESOLUTION

No. DWI-64(84)|WP.—In continuation of Resolution no. DWI-64(84)|WP, dated 27-3-1984, Government of India have decided to include the following additional persons in the Development Panel for Wood-based Industries for a period of two years from the date of issue of the earlier Revolution :—

1. Representative of Department of Petroleum, Ministry of Energy, Shastri Bhavan, New Delhi
2. The South Indian Plywood Manufacturers' Association, TC|XII|1630, Brigade Lane, Vikas Bhawan, Trivandrum-695033, Kerala State— Shri A. K. Kaderkutty.
3. M|s. Assam Plywood Manufacturers Association, Parbatia Colony, P. O. Tinsukia, Assam. President of his nominee
4. Shri K. S. Nair, Executive Director, Federation of Indian Plywood and Panel Industries, H-Block, Connought Circus, India Place, New Delhi-110001.
5. Shri M. M. Jalan, Arunachal Plywood Industries Ltd., 62, Baliganj. Circular Road, Calcutta-700019.
6. Shri L. N. Dokania, Managing Director, M|s. Woodcraft Products Ltd., 9|1, R. N. Mukerjee Road, 7th floor, Calcutta-700001.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. C. GANJWAL, Director (Administration)

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE COOPERATION)

New Delhi, the 24th July 1984

RESOLUTION

No. 6-1|84-Fry(Coord.).—The Government of India have decided to reconstitute, with immediate effect, the Central Board of Forestry with a view to give the Board a wider base and to provide greater scope for participation of concerned organisations and individuals from within and outside the Governments.

The revised composition and terms of reference of the Central Board of Forestry and its Standing Committee will be as under :—

CENTRAL BOARD OF FORESTRY :

CHAIRMAN

1. Union Minister of Agriculture

MEMBERS

2. A Minister from each of the following Ministries Departments of the Government of India
   (i) Ministry of Home Affairs
   (ii) Ministry of Education
   (iii) Ministry of Energy
   (iv) Ministry of Finance
   (v) Ministry of Industry
   (vi) Ministry of Rural Development
   (vii) Department of Environment
3. Member (Agriculture), Planning Commission
4. Ministers in charge of Forest of all the States
5. Ministers|Chief Commissioners|Administrators (as the case may be) in charge of Forests of all the Union Territories.
6. Two Members of Parliament from Lok Sabha
7. One Member of Parliament from Rajya Sabha
8. Five representatives of leading voluntary agencies|bodies and|or professional organisations concerned with forestry, land and|or water, to be nominated by the Government of India from time to time
9. Two eminent non-officials to be nominated by the Government of India from time to time
10. Secretaries to the Government of India in charge of Agriculture, Rural Development Education, Energy, Environment, Finance, Home, Industry, and Information & Broadcasting Ministries|Departments
11. Director-General, Indian Council of Agricultural Research
12. Inspector General of Forests, Government of India
13. President, Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun
14. Wild Life Expert

MEMBER-SECRETARY

15. Additional Inspector General of Forests Govt. of India.

MEMBERSHIP :

(i) Members other than those who are members by virtue of office or appointment held by them, shall hold office for a period of four years or till they cease to be members of the organisation which they represent, whichever is earlier.

(ii) A Member of Parliament nominated on the Board will continue for four years, unless he ceased to be such on the dissolution of the Parliament or on his ceasing to be a Member of Parliament for any reason.

(iii) A member shall cease to be a member of the Board if he shall die or resign or become of unsound mind or become insolvent or be convicted by a court of law for a criminal offence involving moral turpitude.

(iv) Any vacancy in the membership caused by any of the reasons mentioned above shall be filled through appointment|nomination by the authority competent to make such appointment|nomination.

ROLE AND FUNCTIONS :

(1) The main function of the Board will be to aid and advise the Central and State Governments|Union Territory Administrations on all matters concerning forest conservation and management as well as related matters, which may arise from time to time. In discharging this role, the Board will be specially concerned with the following :

   (i) National Forest Policy.

   (ii) Legislation on Forest Conservation and Development

   (iii) Inter-state matters relating to forests

   (iv) Identification of broad areas of forestry research and education

   (v) Making recommendations on the thrust necessary to achieve the development objectives in forestry sector and evaluation of forestry programmes.

(vi) Appointment of Committees|Sub-Committees| Working Groups to take up studies of areas identified by the Board to be of national importance.

MEETINGS OF THE BOARD :

The Board shall meet at least once in a year.

Non-official members of the Board will be paid TA|DA for attending the meetings of the Boards and|or its Committees|Sub-Committees in accordance with the existing orders of the Government of India for Class 1 Officers.

II. STANDING COMMITTEE OF THE CENTRAL BOARD OF FORESTRY :

CHAIRMAN

1. Union Minister of Agriculture or State Minister of Agriculture.

MEMBERS

2. Three Ministers in charge of Forests from the State to be nominated by the Central Board of Forestry by rotation for a period of two years at a time.
3. One member of Parliament (out of those nominated to the Board).
4. Representatives of the Union Ministiries| Departments of Home, Finance, Energy, and Environment (not below the rank of Secretary concerned).
5. Secretary (Agriculture & Cooperation) Government of India.
6. Director-General, Indian Council of Agricultural Research
7. Inspector General Forests, Government of India.
8. President, Forest Research Institute Colleges, Dehra Dun.
9. Wild Life Expert

MEMBER SECRETARY

10. Additional Inspector-General of Forests Government of India.

ROLE AND FUNCTIONS

1. To watch the implementation of the recommendations of the Board and to aid and advise the Central and State Governments on any matter arising there from;
2. To carry out all such functions of the Board, as the Board may, from time to time, delegate to it as well as to take action on behalf of the Board while it is not in session; and
3. To constitute specialised Committees|Sub-Committees and Study Groups as may be necessary, from time to time, for the proper discharge of the functions of the Board.

MEETINGS OF THE STANDING COMMITTEE

The Standing Committee shall meet at least once in six months and its meeting will invariably be held before the meeting of the Board (CBF)

This supersedes all the Resolutions issued earlier on the subject.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned including the President's Secretariat, the Prime Minister's Office, the Lok Sabha Secretariat, the Rajya Sabha Secretariat; the Cabinet Secretariat, the Department of Parliamentary Affairs and the Comptroller and Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

The 28th July 1984

ADDENDUM

No. 8-1|84-FRY(M).—In partial modification of this Ministry's Resolution of even number dated the 31st may, 1984 regarding constitution of Central Monitoring Committee in the Ministry of Agriculture to review the progress and to monitor the implementation of Indo-German Dhauladhar Project in Kangra Distt. of Himachal Pradesh, the following may be added in para 2 of the said resolution :—

1. (IV) Director (IC)
Ministry of Agriculture
(Deptt.) of Agriculture & Coop. . . (Member)

2. The existing "(IV)" may be read as "(V)"

ORDER

ORDERED that a copy of the addendum may be communicated to all concerned.

ORDERED that the addendum may also be published in the Gazette of India for general information.

SAMAR SINGH, Jt. Secy

New Delhi, the 27th July 1984

RESOLUTION

No. 17-1|84-LD.I.—In partial modification of this Ministry's Resolution No. 17-1|84-LD-I, dated the 9th February 1984, it has been decided by the Government of India to nominate Shri A. R. Shirali, former Deputy Comptroller Auditor General as a member of the Evaluation Committee on Operation Flood II Project under the Chairmanship of Shri L. K. Jha. The other terms and conditions will be same.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all Ministries|Departments of the Government of India Cabinet Sectt.; the President's Sectt.; the Prime Minister' Office; the Planning Commission; the Comptroller and Auditor General of India; the Accountant General, Central Revenue the Director of Commercial Audit, All State Govts.|Union Territories.

ORDERED also that this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

VISHNU BHAGWAN, Jt. Secy

MINISTRY OF EDUCATION & CULTURE
(DEPARTMENT OF CULTURE)

New Delhi-110001, the 26th June 1984

RESOLUTION

INDIAN HISTORICAL RECORDS COMMISSION CONSTITUTION, 1984

No. 32-34|84-Library.—In supersession of this Ministry Resolution No. 22-1|74-CAI(2), dated 1st November, 197 the Government of India, *vide* Annexure, have decided re-constitute the Indian Historical Records Commission.

ORDER

ORDERED that this Resolution be published in the Gazet of India, Part 1—Section 1.

R. C. SOOD, Under Sec

ANNEXURE

CONSTITUTION OF THE INDIAN HISTORICAL RECORDS COMMISSION 1984

The Indian Historical Records Commission was set by the Government of India in 1919 as a consulting bo whose opinion would carry weight with the public and whic would make enquiries and recommendations regarding (treatment of archives for historical study, (ii) the scale ar plan on which the cataloguing, the calendaring and reprintir of each class of documents should be undertaken, (iii) th sums required for encouraging research among, and pub cation of records, (iv) selection of competent scholars f editing documents and (v) the problems of public acce to records, (Department of Education Resolution No. dated 21 March 1919). With a view to promoting acti cooperation of the various State Governments in India also the universities and learned institutions in the count in the activities of the Commission, the Government India by their Department of Education, Health and Lan Resolution No. F.92-9|40-E, dated 10 September 1981, toc steps to reform the constitution of the Commission providin for the inclusion in it nominees of the various State Goverp ment in India as also those of the universities and learn societies.

2. The Commission has since its inception held forty-ei Sessions and has contributed significantly to the growth public interest in the conservation and use of archives. T Government of India do recognise that it was through initiative of the Commission and its different Committe that many new sources of information have been brou to light and saved for posterity, many collections of do ments have been published and made accessible to schola

*Department of Culture, Government of India, Resoluti No. F. 32-34|84—File Dated 26-6-1984

acilities for the use of records have been materially enhanced ınd a new conscience has been aroused in the public mind n respect of the sanctity of historical evidence. While the Government of India note with deep appreciation these and other achievements of the Commission, they do feel at the ,ame time that much work still remains to be done and that ı host of important problems are still awaiting to be attac-.ed. Many record-collections are still without any guides or and-book let alone comprehensive descriptive lists, and ery few repositories, public or private, have yet developed well-articulated programme of document publication. Most f the collection still continue to be housed in primitive con-itions and are subjected to the ravages of insect pests, moulds nd other destructive agents. Very little systematic effort has een made to survey, describe, organise or make use of ·cords in private custody, and particularly, those of insti-ıtional, religious or commercial provenance. Lack of trained rchivists continues seriously to impede the archival work ı the country and the training facilities available in the 'ational Archives have hardly stimulated an adequate res-onse among the owners of achival holdings. Governments elieve that these constitute very serious lacunae in the cademic life of the nation and that greater and more whole-earted cooperation between Keepers of Records and istorical materials on the one hand and their users on the ther is the only means by which these deficiencies could e removed.

3. In order to promote such cooperation the Government f India, in supersesion of the Department of Culture Resolu-on No. 22-1/74-CAI (2) dated 1st November, 1974 and ·l earlier Resolutions on the same subject, are pleased to inction a reconstitution of the commission on the following nes :

'The Commission shall consist of the following members'.

Ex-Officio Members

President

1. Minister for Education and Culture,
   Government of India.

Member

2. Secretary,
   Ministry of Education and Culture,
   Government of India.

Member

3. Additional Secretary,
   Department of Culture,
   Government of India.

Secretary

4. Dircetor of Archives,
   Government of India.

Joint-Secretary

5. Deputy Director of Archives/
   Assistant Director of Archives,
   Government of India, dealing
   with the Commission.

B. Nominees of the Government of India

These shall be 20 eminent historians and archivists to be appointed by the Government of India on the basis of their specialised knowledge of the treatment of archives or their original contribution to the post-1600 period of Indian history

C. Representatives of the Central Government and Semi-Government Institutions, one each from the following agencies

1. Ministry of External Affairs, New Delhi.
2. Ministry of Home Affairs, New Delhi.
3. Ministry of Defence, New Delhi.
4. Department of Personnel and Administrative Reforms, New Delhi.
5. University Grants Commission, New Delhi.
6. Ministry of Education and Culture (Financial Adviser) New Delhi.
7. Socio Economic Research Institute, Pre-Census Population Studies Unit, Indian Statistical Institute, 203, Barrackpore Trunk Road, Calcutta.

D.1. Pepresentatives of State Government/Union Territo-*ries*

One nominee each of the State Governments/Union Terri-tories having an organised record repository of its own, the nominee being invariably the custodian of Archives of the State/Union Terriory.

2. Regional Records Survey Committees

One representative each of various Regional Records Sur-vey Committees from States/Union Territories having no organised records repository.

F. *Representatives of Universities teaching Post-1600 period of Indian History*

One nominee each from every such University in India teaching post-1600 period of Indian History and encouraging research among, and publication of, original records and cooperating with the Commission in organising its own archi-ves and in conducting survey and exploration of records in private and semi-public custody as mentioned hereunder :

(1) Agra University, (2) Aligarh Muslim University, (9) Allahabad University, (4) Andhra University, (5) Annama-lai University, (6) Awadesh Pratap Singh University, (7) Banaras Hindu University, (8) Bangalore University, (9) Berhampur University, (10) Bhagalpur University, (11) Bhopal University, (12) Bihar University, (13) Bombay Uni-versity, (14) Burdwan University, (15) Calcutta University, (16) Delhi University, (17) Dibrugarh University, (18) Gau-hati University, (19) Gorakhpur University, (20) Gujarat University, (21) Gujarat Vidyapith, (22) Guru Nanak Dev University, (23) Himachal Pradesh University, (24) Indore University, (25) Jabalpur University, (26) Jadavpur Univer-

sity, (27) Jamia Millia Islamia, (28) Jammu University, (29) Jawaharlal Nehru University, (30) Jiwaji University, (31) Jodhpur University, (32) Karnataka University, (33) Kashi Vidyapith, (34) Kashmir University, (35) Kerala University, (36) Kurukshetra University, (37) Lucknow University, (38) Madras University, (39) Magadh University, (40) The Maharaja Sayajirao University, (41) Marathwada University, (42) Meerut Universty, (43) Mysore University, (44) Nagpur University, (45) North Bengal University, (46) Osmania University, (47) Punjab University, (48) Patna University, (49) Poona University, (50) Punjabi University, (51) Rabindra Bharati University, (52) Rajasthan University, (53) Ravishankar University, (54) Sugar University, (55) Sambalpur University, (56) Sardar Patel University, (57) Saurashtra University, (58) Shivaji University (59) Sri Venkateswara University, (60) Sukhadia University, (61) Utkal University, (62) Vikram University, (63) Visva Bharati, (64) Madurai Kamaraj University, (65) Ranchi University.

F. Representatives of Learned Insitutions one each from the following'

1. Indian History Congress.
2. Asiatic Society, Calcutta.
3. Asiatic Society, Bombay.
4. Bharata Itihasa Samshodhaka Mandala, Pune.
5. Gokhale Research Institute of Politics and Economics, Pune.
6. Indian Institute of Advanced Studies, Simla.
7. Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi.
8. Indian Council of Historical Research, New Delhi.
9. Institute de Chandernagor, Chandernagore (West Bengal.
10. Heras Institute of Indian History and Culture, Bombay.
11. Indian Institute of Islamic Studies, New Delhi.
12. Association of Indian Archivists, New Delhi.
13. Institute of History and Antiquarian Studies in Assam, Gauhati.
14. Indian Institute of Management, Ahmedabad.
15. Shri Natnagar Shodh Sansthan, Sitamau.
16. Maharaja Sawai Man Singh II Museum, Jaipur.
17. Genealogical Society of Utah, New Delhi.

G. Corresponding Members

The selection of Members in this category will be confined to persons residing outside India and actively interested in records, only published work of sufficient merit being accepted as evidence of such interest. The Corresponding Members are to be selected and appointed by the Government of India.

4. The Government of India desire that nominees of the State Governments should be persons thoroughly conversant with archives and archival techniques and that the nominees of universities, learned institutions and other reseach bodies should be men of academic distinction with considerable amount of original research work on the history of India of the post-1600 period to their credit. The nominees of all these bodies will become members of the Commission after their nominations have been notified by the Government of India.

5. I. The Members of the Commission, other than ex officio Members and also all the Corresponding Members of the Commission will be appointed for a term of five years as follows :

(1) All appointments and re-appointments for a full term of five years will be made *on-bloc* with effect from the same date but on the expiry of their terms the members concerned will be eligible for reappointment.

(2) Vacancy due to resignation or otherwise which may occur within the period of five years will not be filled for a full term of five years but only for the unexpired period of the term.

II. The scope of the Commission's activities shall be limited the following :

(1) To act a forum for exchange between creators, custodians and users of archives and historical documents, of ideas and experiences relating to treatment, preservation and use of archives, and to make recommendations to appropriate bodies, offical non-official in this behalf.

(2) To act as a forum for discussion on archives in relation to historical problems requiring investigation, particularly in relation to those on which little or no work has been done, and to hold academic session. At this academic session papers based on newly discovered original records pertaining to the post-1600 period of Indian history be read and discussed. These papers should be written either by the Members of the Commission or communicated through them if written by other scholars. All such papers should be circulated in advance after getting them approved by an Editorial Committee to be constituted for the purpose.

(3) To promote the salvaging and use of material in private and semi-public custody (including institutional, religious and business records) in collaboration with universities, libraries, museums, learned societies, and particularly with the Regional Records Survey Committees and similar local bodies and to act as a clearning house of information about the work done in this field.

(4) To act generally as an intermediary between record and historical manuscript repositories on the one hand and bodies interested in research on the other.

(5) To publish proceedings and bulletins embodying reports on its activities and on other matters promoting its objective.

III. The Commission shall normally meet once a year at a place rich in archival materials being selected as the venue. Each session should include :

(1) A public meeting devoted to the report to be presented by the Secretary on the archival progress in the country.

(2) A business meeting for the discussion of the Secretary's report as also the problems relating to keeping and use of archives that may be referred to it by the members and for review of programmes undertaken by different bodies under its auspices.

(3) Academic session for reading and discussion of papers based on original records pertaining to the post-1600 period of Indian history. Such sessions shall be open to the interested public.

Corresponding Members will be entitled to participate in all the meetings of the Commission except its business mettings which they may attend only by special invitation.

The Commission's meetings are to be presided over by the ex-officio President. He shall however, have the right to nominate a senior member to act as President in his absence.

Standing Committee

The Commission may appoint one or more Committees to deal with the particular problems requiring investigation. Such Committees shall submit their reports to the Commission.

The Government of India shall set up a Standing Committee with the following composition and functions :

Composition

Ex-Officio Chairman

(a) Secretary to the Government of India, Ministry of Education and Culture.

Ex-Officio Vice-Chairman

(b) Additional Secretary, Department of Culture

(c) Twelve Members of the Commission to be nominated by the Government of India for a term of two years. The members shall be eligible for renomination.

Ex-Officio Secretary

(d) Director of Archives, Government of India.

Ex-Officio Joint Secretary

(e) Deputy Director of Archives/ Assistant Director of Archives Government of India, dealing with the Commission.

Functions

The Standing Committee will review the action taken from time to time on the recommendations made by the Indian Historical Records Commission, consider all reports and items refered to it and express its views on the agenda for the Commission's meeting, and perform such other functions as the Government of India or the President of the Commission may assign to it. It will ordinarily meet twice a year.

7. The travelling allowances of the *Ex-Officio* President, Secretary, Ministry of Education and Culture (*Ex-Officio* Chairman of the Standing Committee), Additional Secretary, Department of Culture (*Ex-Officio* Vice-Chairman of the Standing Committee), Secretary and Joint Secretary of the Commission the nominees of the Government of India (Referred to in para 3(A-B) above) and such members of the Standing Committee who are Government officials attending the meeting(s) of the Commission and its Committees will be a charge on the Central Revenues, and the expenditure for the same will be debitable to the same head as their pay.

8. Non-officials appointed by the Government of India as Members of the Commission or its Committees will draw travelling allowances for attending meetings of the Commission or its Committees at rates admissible to Grade-I Officers of the Central Government and daily allowances at the highest rate admissible to Grade-I Officers of the Central Government for respective localities. The expenditure will be met from the budget grant of the National Archives of India. The State Governments, the Universities and other constituent institutions will be required to bear the travelling allowances of their nominees. The travelling allowances for non-official members other than Central Government nominees, who may be appointed to serve on any Committee of the Indian Historical Records Commission will be paid at the same rate as those of non-official members appointed by the Central Government as Ordinary Members.

R. C. SOOD, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 28th July 1984

RESOLUTION

No. E. 11015/33/82-Hindi.—Government of India have decided to extend the tenure of the Hindi Advisory Committee of the Ministry of Information and Broadcasting constituted *vide* this Ministry's Resolution No. E. 11015/33/82-Hindi dated 14th August, 1981 from 13th August, 1984 to 31st January, 1985.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments and Union Territory Administrations, all Ministries/Departments of the Government of India, President's Sectt., Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Sectt., Rajya Sabha Sectt., Planing Commission, Comptroller and Auditor General, Accountant General, Central Revenues and Controller General of Accounts.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

VIJENDRA SINGH JAFA, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPTT. OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS)

RULES

New Delhi, the 18th August 1984

No. 10|3|84-CSII.—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1985 for the purpose of filling temporary vacancies in the following services|posts are published for general information :

(i) Indian Foreign Service (B)—(Grade II of the Stenographers' sub-cadre);

(ii) Railway Board Secretariat Stenographers' Service Grade C (for inclusion in the Select List of the Grade);

(iii) Central Secretariat Stenographers' Service—Grade C (for inclusion in the Select List of the Grade);

(iv) Armed Forces Headquarters Stenographers' Service —Grade C; and

(v) Posts of Stenographer in other department|organisations and Attached Offices of the Government of India not participating in the I.F.S. (B)|Railway Board Secretariat Stenographers' Service|Central Secretariat Stenographers' Service|Armed Force Headquarters Stenographers' Service.

1. A candidate may apply for admission to the examination in respect of any one or more of the services|posts mentioned above. He may specify in his application as many of these Services| posts as he may wish to be considered for.

NOTE 1.—Candidates are required to specify clearly the order of preference for the Services|posts, for which they wish to be considered. No request for alteration in the order of preferences for the Services|posts for which he is competing, would be considered from a candidate unless the request for such alteration is received in the office of the Union Public Service Commission within 30 days of the date of publication of the result of the written examination in the Employment News.

NOTE 2.—Some departments|offices of the Government of India making recruitment through this examination would require only English Stenographers and appointments to posts of Stenographers in these departments|offices on the results of this examination will be made only from amongst those who are recommended by the Commission on the basis of the Written Test and Shorthand Test in English (c. f. para 4 of Appendix I to the Rules).

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to the Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. (1) A candidate must be either :

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, (formerly Tanganyika and Zanzibar). Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Provided further that candidates belonging to categories (b), (c) and (d) above will not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service (B)—(Grade II of the Stenographers' Sub-Cadre).

(2) A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted ot the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

5. No candidate who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe shall be permitted more than three attempts at the examination but this restriction shall be effective from the examination held in 1962.

NOTE 1.—For the purpose of this rule, the examination will mean the Stenographers Examination, the Stenographers' (Release EC|SSC Officers and ex-servicemen) Examination and the Stenographers' (ex-servicemen) Examination.

NOTE 2.—For the purpose of this rule a candidate shall be deemed to have made an attempt at the examination once for all the Services|posts covered by the examination, if he competes for any one or more of the Services|posts.

NOTE 3.—A candidate shall be deemed to have made attempt at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

NOTE 4.—Notwithstanding the disqualification|cancellation of candidature the fact of appearance of the candidate the examination will count as an attempt.

6. (A) A candidate for admission to this examination must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 25 years on 1st January, 1985 *i.e.*, he must have been born not earlier than 2nd January, 1960 and not later than 1st January, 1967.

(B) The upper age limit will be relaxable up to the a of 35 years in respect of persons who have been regularly appointed as Stenographers (including Language Stenographers)|Clerks|Stenotypists in the various Departments|Office of the Government of India including those under th Union Territories Administrations or in the offices of th Election Commission and the Central Vigilance Commissio or in the Lok Sabha|Rajya Sabha Secretariat and have rendered not less than 3 years continuous service as Stenographer (including Language Stenographer)|Clerk|Stenotypi on 1st January 1985 and continue to be so employed.

Provided that the above age relaxation will not be available to persons appointed as Stenographers on the basis earlier examinations, held by the Union Public Service Commission in :—

(i) Central Secretariat Stenographers, Service Grade

(ii) Railway Board Secretairat Stenographers' Grade C, or

(iii) Indian Foreign Service (B) Grade II of the Stenographers' Sub-Cadre, or

(iv) Armed Forces Headquarters Stenographers' Service Grade C.

NOTE 1.—Servce rendered by R.M.S., Sorters employed in Subordinate Offices of P. & T. Deptt. Shall be treated as service rendered in the grade of clerk for purpose of Rule 6(B) above.

NOTE 2.—Service rendered by Service clerks employed if Defence installations, shall not be counted for the purpose of Rule 6(B) above.

(C) The upper age limit in all the above cases, will be further relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangladesh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangladesh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iv) upto a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964;

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964;

(vi) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), or is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethopia;

(vii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), or is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire & Ethiopia;

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) up to a maximum of three years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(xi) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin (Indian Passport holder) as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July 1975;

(xiii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin (Indian Passport holder) as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July 1975;

(xiv) upto a maximum of five years in the case of exservicemen and Commissioned Officers including ECOs|SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on 1st January 1985 and have been released on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within six months from 1st January 1985) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or on account of Physical disability attributable to Military Service or on invalidment;

(xv) up to a maximum of ten years in the case of exservicemen and commissioned Officers including ECOs|SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on 1st January 1985 and have been released on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within six months from 1st January 1985) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or on account of physical disability attributable to Military Service or on invalidment and who belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xvi) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from erstwhile West Pakistan and had migrated to India during the period between 1st January, 1971 and 31st March, 1973;

(xvii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile West Pakistan and had migrated to India during the period between 1st January 1971 and 31st March, 1973

N.B.—(i) The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in Rule 6(b) above shall be cancelled if after submitting his application he resigns from service or his services are terminated by his department either before or after taking the examination. He will however, continue to be eligible if he is retrenched from the service or post after submitting his application.

(ii) A stenographer (including language Stenographer) Clerk|Stenotypist who is on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority or who is transferred to another post but retains lien on the post from which he is transferred will be eligible to be admitted to the examination if otherwise eligible.

7. Candidates must have passed the Matriculation examination of any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or an examination held by a State Education Board at the end of the Secondary School Course for the award of a School Leaving Secondary School, High School or any other Certificate which is accepted by the Government of that State as equivalent to Matriculation certificate for entry into services.

NOTE 1.— A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him educationally qualified for the Commission's examination but has not been informed of the result as also the candidate who intends to appear at such a qualifying examination will NOT be eligible for admission to the Commission's examination.

NOTE 2.—In exceptional cases the Commission may treat a candidate who has not any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he possesses qualifications, the standard of which in the opinion of the Commission justifies his admission to the examination.

8. All candidates in Government service, whether in a permanent or in temporary capacity or as work-charged employees, other than casual or daily-rated employees, or those serving under Public Enterprises, will be required to submit an undertaking that they have informed in writing, their Head of Office|Department that they have applied for this Examination.

Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for|appearing at the examination, their applications shall be rejected|candidature shall be cancelled.

9. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

10. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

11 Candidates must pay the fee prescribed in para 7 of the Commission's Notice.

12. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guity of—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means during the examination; or

(viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter, in the script(s); or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination; or

(xi) violating any of the instructions issued to candidates along with their Admission Certificates permitting them to take the examination; or

(xii) attempting to commit or as the case may be abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses;

may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) if he is already in service under Government to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after—

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and

(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate, within the period allowed to him, into consideration.

13. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the Select List of Grade C of the Central

Secretariat Stenographers' Service and Railway Board Secretariat Stenographers' Service upto the required number and for appointment upto the number of unreserved vacancies in other Services|posts decided to be filled on the results of the examination.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for inclusion in the Select List of Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service and Railway Board Secretariat Stenographers' Service and for appointment to vacancies in other Services|posts irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

14. Subject to other provisions contained in these Rules, due consideration will be given, at the time of making appointments on the results of the examination, to the preferences expressed by a candidate for various Services|posts at the time of his application.

15. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

16. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate having regard to his character and antecedents is suitable in all respects for the appointment to the Service|post.

17. No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to Service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

18. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such medical examination as may be prescribed by the competent authority is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

NOTE.—In the case of disabled ex Defence Services personnel, a certificate of fitness granted by the Demobilisation Medical Board of the Defence Services will be considered adequate for the purpose of appointment.

19. Brief particulars relating to the Services|posts to which recruitment is being made through this examination, are given in Appendix II.

H. G. MONDAL
Under Secy.

APPENDIX I

1. The subjects of the examination, the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows :—

PART A—WRITTEN TEST

Subject	Time allowed	Maximum Marks
(i) General English . .	2 hours	100
(iii) Essay	2 hours	100
(iii) General Knowledge .	2 hours	100

PART B—SHORTHAND TESTS IN HINDI OR IN ENGLISH FOR THOSE WHO QUALIFY AT THE WRITTEN TEST)

300 Marks

NOTE.—Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on typewriters, and for this purpose they will be required to bring their own typewriters with them.

2. The papers in General English and General knowledge will consist of Objective Type questions. For details including sample questions please see Candidates Information Manual appended to Commission's Notice (Annexure II).

3. The syllabus for the Written Test and the scheme of the Shorthand Tests will be as shown in the Schedule to this Appendix.

4. Candidates are allowed the option to answer paper (ii) 'Essay' either in Hindi (Devanagari) or in English. The option will apply to complete paper and not to a part thereof.

Candidates exercising the option to answer the Essay paper in Hindi (Devanagari) may, if they so desire give English version within brackets of the description of the technical terms, if any, in addition to the Hindi version.

Candidates who opt to answer the aforesaid paper in Hindi (Devanagari) will be required to take the Shorthand Tests also in Hindi (Devanagari) only and candidates who opt to answer the aforesaid paper in English will be required to take the Shorthand Tests also in English only.

Question papers in Essay and General Knowledge will be set both in Hindi and in English.

NOTE 1.—Candidates desirous of exercising the option to answer paper (ii) Essay of the Written Test and take Shorthand Tests in Hindi (Devanagari), should indicate their intention to do so in col. 8 of the application form. Otherwise, it will be assumed that they will take the Written Test and Shorthand tests in English.

The option once exercised shall be treated as final, and no request for alternation in the said column shall be entertained.

If a medium other than the one indicated by the candidate in the application form is used in the examination, the paper of such candidates will not be valued.

NOTE 2.—Candidates who opt to take the shorthand tests in Hindi will be required to learn English Stenography and *vice versa*, after their appointment.

NOTE 3.—A Candidate wishing to take the examination at an Indian Mission abroad may be required to appear at his own expense, for the Stenography Tests at any Indian Mission abroad where necessary arrangements for holding such tests are available.

5. Paper (i) General English of the Written Test will be set in English only.

6. Candidates who satisfy the minimum qualifying standard in the dictation at 120 words per minute will rank above the candidates who obtain the same standard in the dictation at 100 words per minute, persons in each group being arranged *inter se* in order of their merit as disclosed by the aggregate marks awarded to each candidate (cf. Part B of the Schedule below).

7. Candidate must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write down answers for them.

8. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

9. Only those candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written test as may be fixed by the Commission in their discretion will be called for Shorthand Test.

10. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

11. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks for the written subjects will be made for illegible handwriting.

12. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in the paper on Essay for the examination.

13. Candidates should use only International form of Indian numerals (e.g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc.) while answering question papers.

SCHEDULE

PART A

Standard and syllabus of the written test

NOTE.—The standard of the question papers in Part A will be approximately that of the Matriculation examination of an Indian University.

General English.—The Paper will be designed to test the candidate's knowledge of English Grammar and Composition and generally their power to understand and ability to write correct English. The paper may include questions on correct use of words; easy idioms and prepositions; direct and indirect speech etc.

Essay.—Candidates will be required to write essay on two topics. A choice of subjects will be given. They will be expected to keep closely to the subject of the essay to arrange their ideas in orderly fashion, and to write concisely. Credit will be given for effective and exact expression.

General Knowledge.—Some knowledge of the Constitution of India, Five Year Plan, Indian History and Culture, general and economic geography of India, current events, everyday science and such matters of everyday observations, as may be expected of an educated person. Candidates' answers are expected to show their intelligent understanding of the questions and not detailed knowledge of any text book.

PART B

Scheme of Shorthand Tests

The Shorthand Tests in English will comprise two dictation tests one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minute for ten minutes, which the candidates will be required to transcribe in 45 and 50 minutes respectively.

The shorthand tests in Hindi will comprise two dictation tests one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minute for 10 minutes which the candidates will be required to transcribe in 60 and 65 minutes respectively.

APPENDIX II

Brief particulars relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this examination

A. *The Central Secretariat Stenographers' Service*

The Central Secretariat Stenographers' Service has at present four grades as follows :—

Grade A : Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200.

Grade B : Rs. 650—30—740—35—880—EB—40—1040.

Grade C : Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—EB—25—800.

Grade D : Rs. 330—10—380—EB—12—500—EB—15—560.

Persons promoted from Grade B to Grade A are allowed a minimum pay of Rs. 775 in the scale. Persons promoted from Grade C are allowed a minimum salary of Rs. 710 in the scale.

(2) Person recruited to Grade C of the Service will be on probation for a period of two years. During this period they may be required to undergo such training and to pass such examinations as may be prescribed by Government.

(3) On the conclusion of the period of probation Government may confirm the persons concerned in his appointment or if his work or conduct in the opinion of Government has been unsatisfactory he may either be discharged from the Service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4) Persons recruited to Grade C of the Service will be posted to one of the Ministries or Offices participating in the Central Secretariat Stenographers' Service Scheme. They may however at any time be transferred to any other such Ministry or Office.

(5) Persons recruited to Grade C of the Service will be eligible for promotion to the next higher grade in accordance with the rules in the force from time to time in this behalf.

(6) Persons appointed to Grade C of the Service in pursuance of their option for that service will not, after such appointment have any claim for transfer or appointment to any post included in the Cadre of the Indian Foreign Service (B) or the Railway Board Secretariat Stenographers' Service scheme.

B. *The Railway Board Secretariat Stenographers' Service*

(a) (i) The Railway Board Secretariat Stenographers' Service has at present four grades as follows :—

Grade A : Rs. 650(775)—35—880—40—1000—EB—40—1200.

Grade B : Rs. 650—30—740—35—880—EB—40—1040.

Grade C : Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—EB—25—800.

Grade D : Rs. 330—10—380—EB—12—500—EB—15—560.

Persons promoted from Grade B to Grade A are allowed minimum of pay of Rs. 775/- in the scale.

Persons promoted from Grade C to Grade B are allowed minimum salary of Rs. 710|- in the scale.

(ii) Persons recruited to Grade C of the Service will be on probation for a period of two years. During this period they may be required to undergo such training and to pass such examinations as may be prescribed by Government. On the conclusion of the period of probation if it is found that the work or conduct, in the opinion of the Government of any of them has been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(iii) Persons recruited to Grade C of the Service will be eligible for promotion to the next higher grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(b) The Railway Board Secretariat Stenographers' Service is confined to the Ministry of Railways and staff are not liable to transfer to other Ministries as in the case of the Central Secretariat Stenographers' Service.

(c) Officers of the Railway Board's Stenographers' Service recruited under these rules :

(i) will be eligible for pensionary benefits; and

(ii) Shall subscribe to the non-contributory State Railway Provident Fund under the rules of that fund as are applicable to Railway Servants appointed on the date they join service.

(d) The candidate appointed to the Railway Board Secretariat Stenographers' Service will be entitled to the Privilege of Passes and Privilege Ticket Orders in accordance with the orders issued by the Railway Board from time to time.

(e) As regards leave and other conditions of service, staff included in the Railway Board Secretariat Stenographers' Service are treated in the same way as other Railway Staff but in the matter of medical facilities they will be governed by the rules applicable to other Central Government employees with Headquarters at New Delhi.

C. *Indian Foreign Service (B)—Grade II of the Stenographers Sub-cadre*

The Stenographers Sub-cadre of the I.F.S. (B) has at present four grades as follows :—

Selection Grade : Rs. 775—35—880—40 —1000—EB—40 —1200.

Grade I : Rs. 650—30—740—35—880—EB—40—1040.

Grade II : Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—EB—25—800.

Grade III : Rs. 330—10—380—EB—12—500—EB—15—560.

(Persons promoted from Grade II are allowed a minimum salary of Rs. 710|- in the scale).

2. Persons recruited to Grade II of the Service will be on probation for a period of two years. During this period they may be required to undergo such training and to pass such examinations as may be prescribed by the Government. On the conclusion of the period of probation if it is found that the work or the conduct of any of them, in the opinion of the Government has been unsatisfactory, he may either be discharged from service or his period of probation may be extended for such further period as Government may fit.

3. The officers appointed to Grade II of the S S C of the I.F.S. (Branch B) will be governed by the I.F.S Branch 'B' (RCSP) Rules, 1964, I.F.S. (PLCA) Rules, 1961 as made applicable to I.F.S. 'B' officers and such other rules and orders as may be made applicable to them by the Government of India.

4. The Indian Foreign Service Branch (B) is confined to the Ministry of External Affairs and Indian Missions abroad. The officers appointed to this service are normally not liable to transfer to other Ministries except the Ministry of Commerce. They are, however, liable to be posted abroad against the posts borne on the strength of other Ministries and also liable to be posted to International Commissions etc. They are liable to serve anywhere in India or outside India, including non-family stations.

5. During Service abroad IFS (B) officers are granted foreign allowance in addition to their basic pay at rates which may be sanctioned from time to time, depending upon the cost of living etc. of the countries concerned. In addition, the following concessions are also admissible during service abroad in accordance with the IFS (PLCA) Rules, 1961 as made applicable to IFS (B) Officers :—

(i) Free furnished accommodation according to the scale prescribed by the Government.

(ii) Medical Attendance Facilities under the assisted Medical Attendance Scheme.

(iii) Annual return air passage for children upto a maximum of two children between the ages of 8 and 21 studying in India or one child studying in India and one child in a country other than the country of the officer's posting abroad subject to certain conditions. If a Government servant has more than two children between ages of 8 and 21 studying in India, he shall have the option to send his wife to India during the vacation in lieu of two children visiting their parents abroad. In such a case the wife of the Government servant shall be entitled to return air passage by the cheapest class available.

(iv) An allowance for the education of children upto a maximum of two children between the age of 5 and 18 at rates prescribed by Government from time to time.

(v) Outfit allowance in connection with service abroad in accordance with the prescribed rules and at rates fixed by Government from time to time. In addition to ordinary outfit allowance, special outfit allowance is admissible to officers posted in countries, where abnormally could climatic conditions exist.

(vi) Home leave passage for officers and their families in accordance with the prescribed rules.

6. Central Civil Service (Leave) Rules, 1972, as amended from time to time will apply to members of the service, subject to certain modifications. For service abroad, except in some neighbouring countries, officers are entitled to an additional credit of leave to the extent of 50 per cent of leave admissible under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

7. While in India Officers are entitled to such concessions as are admissible to other Central Government Servants of equal and similar status.

8. Officers of the IFS (B) are governed by the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 as amended from time to time and by orders issued thereunder.

9. Officers appointed to this service are governed by the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, as amended from time to time and by orders issued thereunder.

D. *Armed Forces Headquarters Stenographers' Service*

The AFHQ Stenographers' Service has at present, four grades as follows :

1. Grade A Stenographers (Private Secretary) Group B—Gazetted (Selection Grade).

   Scale of pay—Rs. 650 (*775)—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200.

   *Guaranteed minimum for those promoted from Grade B.

2. Grade B Stenographers (Senior Personal Assistants) Group B—Gazetted.

   Scale of pay—Rs. 650 (@710)—30—740—35—880—EB—40—1040

   @Guaranteed minimum for those promoted from Grade C.

3. Grade C Stenographers (Personal Assistants) Group B—Non-Gazetted.

   Scale of pay—Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—EB—25—800.

4. Grade D Stenographers—Group C

   Scale of pay—Rs. 330—10—380—EB—12—500—EB—15—560.

2. Persons recruited direct as temporary Stenographers' Grade C (Personal Assistants) will be on probation for a period of 2 years. Unsatisfactory record of service during this period may result in discharge of the probationer from service. During probation, a member of the Service may be required to undergo such training and to pass such tests as the Government may from time to time prescribe.

3. Stenographers' Grade C recruited to AFHQ Stenographers' Service will be generally posted to any office of the AFHQ and Inter 'Service Organisations located in Delhi|New Delhi. They will also be liable to be posted to such other stations outside Delhi|New Delhi, where office of AFHQ|IS Organisations may be located.

4. Stenographers' Grade C will be eligible for promotion to the post of Stenographers' Grade B (Senior Personal Assistants) and Stenographers' Grade B (S.P.As) will be eligible for promotion to Stenographer Grade A (Private Secretary) in accordance with the rules in force from time to time.

5. eave, Medical Aid and other conditions of service are the same as applicable to other ministerial staff employed in Armed Forces Headquarters and Inter Service Organisations.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1984